



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली

वर्ष 2010–2011 का वार्षिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना असाधारण भाग-II धारा 3(II) दिनांक 10.08.1971 के द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। भारत सरकार द्वारा उक्त राजपत्र में समय-समय पर संशोधन करते हुए सदस्यता में परिवर्तन किया गया है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मुख्य प्रयोजन निम्न हैं :-

- i) भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना।
- ii) भारतीय चिकित्सा पद्धति की चिकित्सीय अर्हताओं को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में मान्यता (समावेश/से मान्यता को वापिस लिए जाने) से सम्बन्धित विषयों पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना।
- iii) भारतीय चिकित्सा पद्धति की केन्द्रीय पंजिका का रख-रखाव और समय-समय पर उसे परिशोधित करना।
- iv) भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासियों के लिए आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार सहित के मानक विहित करना।
- v) भारतीय चिकित्सा पद्धति के नये महाविद्यालय स्थापित करने, स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता बढ़ाने एवं नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या अतिरिक्त विषयों में पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पर विचार करना व भारत सरकार को अनुशंसाएं भेजना।

स्थापना वर्ष 1971 से ही केन्द्रीय परिषद् स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तरों पर भारतीय चिकित्सा अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की पाठ्यविधि एवं पाठ्य विवरण सहित विभिन्न विनियमों को बनाती एवं लागू करती रही है।

परिषद् द्वारा स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तर पर निम्न पाठ्यक्रम पहले से ही विहित किए जा चुके हैं। परिषद् द्वारा इन पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य विवरण एवं पाठ्यविधि सहित शिक्षा के न्यूनतम मानक भी विहित किए गए हैं : -

आयुर्वेद

आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसन एण्ड सर्जरी)	5 ½ वर्ष
आयुर्वेद वाचस्पति एम.डी. (आयुर्वेद)	3 वर्ष
आयुर्वेद धन्वन्तरि एम.एस. (आयुर्वेद)	3 वर्ष
आयुर्वेद में डिलोमा (विषय विशेष)	2 वर्ष

यूनानी तिब्ब

कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसन एण्ड सर्जरी)	5 ½ वर्ष
माहिर-ए-तिब्ब-एम.डी. (यूनानी)	3 वर्ष
माहिर-ए-जराहत एम.एस. (यूनानी)	3 वर्ष
यूनानी में डिलोमा (विषय विशेष)	2 वर्ष

सिद्ध

सिद्ध मरुथा अरिग्नर (बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसन एण्ड सर्जरी)
सिद्ध मरुथा पेरिग्नर- एम.डी. (सिद्ध)

5 ½ वर्ष
3 वर्ष

भारतीय चिकित्सा पद्धति के समस्त महाविद्यालय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं। ये महाविद्यालय भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित शिक्षा के न्यूनतम स्तर तथा पाठ्यविधि एवं पाठ्य-विवरण का अनुसरण कर रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 93 ग के संशोधन के परिप्रेक्ष्य में 07-99-03 से पूर्व स्थापित महाविद्यालयों को भारत सरकार से अनुमति लेने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का ८८) की धारा ३६ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से “भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (विद्यमान महाविद्यालयों को अनुमति) विनियम, 2006 विहित किए गए हैं। इन विनियमों के तहत 07.99.03 से पूर्व स्थापित महाविद्यालय भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 93 ग के अन्तर्गत अनुमति हेतु 07.99.06 तक आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। महाविद्यालयों के आवेदन भारत सरकार द्वारा प्राप्त किए गये एवं धारा 93 ग के अनुसार भारत सरकार को अनुशंसाएं प्रेषित करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को अप्रेषित किए गये। जिसके बाद भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने इस विशिष्ट वर्ष के लिये अनुमति देने अथवा न देने हेतु भारत सरकार को अनुशंसाएं प्रेषित की। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुशंसाओं पर विचार करने के पश्चात् तथा साथ-साथ सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् भारत सरकार ने इस विशिष्ट वर्ष के लिये अनुमति प्रदान की/ नहीं की।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा आयुर्वेद महाविद्यालयों तथा अस्पतालों के न्यूनतम मानकों का पुनरावलोकन किया गया।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आयुष विभाग, द्वारा उनके पत्रांक आर. ११०११/५/२००६ ई.पी., दिनांक २३.८.२०१० के अनुसार आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध महाविद्यालयों के परिदर्शन प्रतिवेदन पर विचार कर अनुशंसाएं भारत सरकार को अनुमति प्रदान करने अथवा न करने हेतु प्रेषित की गई।

क्रम संख्या	पैरामीटर	माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के अनुमोदन के अनुसार मानक			
१.	शिक्षण स्टॉफ (80%)	स्नातक सीटें	आयुर्वेद	सिद्ध	यूनानी
		५० तक	२८	२०	२४
		५१ - ६०	३५	२२	२४
		६१ - ८०	४०	३२	२४
		८१ - १००	४६	४०	२४

		स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम :- स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु शिक्षकों की आवश्यकता के अतिरिक्त सम्बन्धित विषय में एक प्राध्यापक/प्रवाचक तथा एक व्याख्याता। स्नातकोत्तर प्रवेश क्षमता का निर्णय करने हेतु छात्र-शिक्षक अनुपात प्राध्यापक की स्थिति में १:३, प्रवाचक की स्थिति में १:२ तथा व्याख्याता की स्थिति में १:१ होना चाहिए।
२.	शिक्षण अस्पताल में में शिक्षाओं की संख्या	न्यूनतम आवश्यकता : आयुर्वेद तथा सिद्ध महाविद्यालयों हेतु - ५० छात्रों की प्रवेश क्षमता तक १०० शिक्षाएं तथा ५१ से १०० प्रवेश क्षमता हेतु, छात्र-शिक्षा अनुपात १:२ होना चाहिए। यूनानी महाविद्यालयों हेतु:- ५० छात्रों की प्रवेश क्षमता तक ५० शिक्षाएं तथा ५१ से १०० प्रवेश क्षमता हेतु, छात्र-शिक्षा अनुपात १:१ होना चाहिये। आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी स्नातकोत्तर संस्थाओं हेतु : न्यूनतम १५० शिक्षाएं। १५० शिक्षाओं तक, १० नैदानिक स्नातकोत्तर सीटों की अनुमति दी जा सकती है। स्नातकीय सीटों हेतु शिक्षाओं की आवश्यकता आयुर्वेद एवं सिद्ध के लिये १:२ का अनुपात तथा यूनानी के लिये १:१ का अनुपात के अतिरिक्त १० स्नातकोत्तर सीटों से अधिक हेतु छात्र-शिक्षा अनुपात १:५ होना आवश्यक हैं।
३.	बहिरंग विभाग	५० सीटों तक औसत ओ. पी. डी. उपस्थिति न्यूनतम १०० रोगी प्रतिदिन होनी चाहिये तथा ५१-१०० सीटों १:२ छात्र-शिक्षा अनुपात।
४.	अन्तरंग विभाग	स्नातकीय हेतु - न्यूनतम ४०: शिक्षा अधिभोग होना चाहिये। स्नातकोत्तर हेतु - न्यूनतम ५०: शिक्षा अधिभोग होना चाहिये।

भारत सरकार द्वारा यह प्रस्तावित किया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् कुछ विशिष्ट संस्थाओं में स्नातकीय स्तर पर समाकलित पाठ्यक्रम को पुनः प्रारम्भ करें। परन्तु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने देखा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को इसकी अनुमति नहीं देता है।

परिषद् की वेबसाइट की समय-समय पर समीक्षा की गई तथा सभी प्रकार से नवीनतम सूचना का अद्यतन किया गया।

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका को तैयार करना और उसका रख-रखाव केन्द्रीय परिषद् के मुख्य कार्यों में से एक है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० के प्रावधानानुसार केन्द्रीय परिषद् विहित पद्धति में भारतीय चिकित्सा की एक पंजिका अनुरक्षित कर रही है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम हैं जो किसी भी भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की अनुसूचियों में समाविष्ट मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई भी रखते हैं। भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का अनुरक्षण और उसका अद्यतन करना एक अनवरत प्रक्रिया है।

वर्ष २०१०-११ के दौरान, निम्न राज्यों की केन्द्रीय पंजिका को उनके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए भारत के राजपत्र भाग III, अनुभाग IV में अधिसूचित किया गया :-

क्रम संख्या	राज्य का नाम	अवधि
(i)	आन्ध्र प्रदेश	०१ अप्रैल, २००६ से ३१ दिसंबर, २००७
(ii)	गुजरात	०१ जनवरी, २००७ से ३१ मार्च, २००६
(iii)	उडीसा	०१ अप्रैल, २००७ से ३१ मार्च, २००६
(iv)	दिल्ली	०१ अप्रैल, २००४ से ३१ मार्च, २००६
(v)	बिहार	०१ जनवरी, २००७ से ३१ मार्च, २००६
(vi)	केरल	सन् १९६३ से १९७५

प्रशासनिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संरचना

वर्तमान केन्द्रीय परिषद् के दिनांक ३१ मार्च, २०११ के अनुसार निम्न सदस्य हैं :-

आयुर्वेद

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. वैद्य रघुनन्दन शर्मा | 21. डा. रूप लाल शर्मा |
| 2. डा. जयप्रकाश नारायण | 22. डा. के.चन्द्रशेखर बलाल |
| 3. डा. प्रमोद कुमार जैन | 23. डा. के. अनिल कुमार |
| 4. वैद्य वेदप्रकाश त्यागी | 24. डा. सतीश दत्त गर्ग |
| 5. डा. निरंजन सिंह त्यागी | 25. डा. रणवीर सिंह परिहार |
| 6. डा. रामनाथन देवराज अय्यर | 26. प्रो. कुलवन्त सिंह |
| 7. डा. बनवारी लाल गौड | 27. डा. राजेश शुक्ला |
| 8. प्रो. रामबाबू रामाधर द्विवेदी | 28. डा. ज्ञानकुमार आहूजा |
| 9. डा. एस.एस. सावरीकर | 29. डा. आशुतोष कुलकर्णी सुमन्तराव |
| 10. प्रो. वी. के. जोशी | 30. डा. सुरेश भोलेसवर कातरे |
| 11. डा. एस.के. शर्मा | 31. डा. चन्द्रकान्त कोलटे गंगाराम |
| 12. डा. देवव्रत नारायण सिंह | 32. डा. सुधाकर पुनालिकराव मोहिते |
| 13. डा. मेरी वमन रेड्डी | 33. डा. बी.के. जयसिंह |
| 14. डा. गणेश भराली | 34. वैद्य जगजीत सिंह |
| 15. डा. इन्द्र मोहन झा | 35. डा. मुकेश वालिया |
| 16. डा. अलखनारायण सिंह | 36. डा. हरीराम भदौरिया |
| 17. डा. ओम प्रकाश वशिष्ठ | 37. डा. कमलेश कुमार वर्मा |
| 18. डा. सुखदेव सिंह वंसिया | 38. डा. आनन्द वर्धन द्विवेदी |
| 19. डा. विमला चौधरी | 39. डा. एस. माधवन |
| 20. डा. अशोक कुमार शर्मा | 40. डा. सुरेश चन्द्र गुप्ता |

41. डा. आर. वीरचोलन
42. डा. वी.वी.चिकित्सा
43. डा. के. सी. शर्मा
44. डा. एस.एन. परचुरे
45. डा. देवदत्ता एस. भाद्रीलकर
46. डा. मनोज कुमार दुबे
47. डा. शिव खरूप शर्मा
48. डा. वनिता मुरली कुमार
49. डा. (श्रीमती) पूजा भारद्वाज

यूनानी

1. प्रो. हकीम सैयद खलीफथुल्लाह
2. डा. मोहम्मद खालिद सिद्दीकी
3. डा. रशीदुल्लाह खान
4. प्रो. (डा.) सऊद अली खान
5. डा. एम.ए. जाफरी
6. डा. मोहम्मद अख्तर मसूद सिद्दीकी
7. डा. कमरुजमा
8. डा. अबू बकर खान
9. डा. बशीर अहमद
10. प्रो. एस. जियाउद्दीन

सिद्ध

1. डा. वी. स्टेनले जोन्स
2. डा. वी. अरुणाचलम
3. डा. एस. भूषणिराज

समितियां

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा ९(१) के अनुसार केन्द्रीय परिषद् की निम्न मुख्य समितियां हैं यथा :-

- (1) आयुर्वेद समिति
- (2) सिद्ध समिति
- (3) यूनानी समिति

50. डा. स्वर्ण कुमार भूतिया
51. डा. के.जी. चन्द्रपणा
52. डा. एम. मोहन अल्वा
53. डा. एम.एम. जुमले
54. डा. युवराज कुमार त्यागी
55. डा. बद्रुक शंकर जोगी
56. डा. वी. आर. शेषद्वारी
57. डा. एम.आर. वासुदेवन नम्पूरी
58. डा. पी. राम मनोहर

उपर्युक्त समितियां भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा ३ की उपधारा (1) के खण्ड (क) (ख) और (ग) के अधीन निर्वाचित/मनोनीत आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से युक्त हैं।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा ३ उपधारा (2) के प्रावधानानुसार अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।

उपाध्यक्ष आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी का चुनाव भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा ३ की उपधारा ३ के अधीन उनकी अपनी-अपनी समितियों द्वारा किया जाता है।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. अध्यक्ष | - वैद्य रघुनन्दन शर्मा |
| 2. उपाध्यक्ष (आयुर्वेद) | - डा. जयप्रकाश नारायण |
| 3. उपाध्यक्ष (यूनानी तिब्ब) | - प्रो. हकीम सैयद खलीफथुल्लाह |
| 4. उपाध्यक्ष (सिद्ध) | - डा. वी. स्टेनले जोन्स |

कार्यकारिणी समिति

अधिनियम एवं उसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों के ढांचों में केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित सामान्य नीति एवं सिद्धान्तों के अनुरूप परिषद् के कार्यों का निष्पादन करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सामान्य) विनियम, १९७६ की धारा ६ के अनुरूप कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। भारतीय चिकित्सा की आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चुनाव भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सामान्य) विनियम, १९७६ के खण्ड ६ (1) के अधीन उनकी अपनी-अपनी समितियों द्वारा किया जाता है।

दिनांक ३१.०३.२०१९ तक कार्यकारिणी समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :-

- | | | |
|-----|-----------------------------|--------------|
| १. | वैद्य रघुनन्दन शर्मा | सभापति |
| २. | डा. जयप्रकाश नारायण | सदस्य (पदेन) |
| ३. | प्रो. हकीम सैयद खलीफथुल्लाह | सदस्य (पदेन) |
| ४. | डा. वी.स्टेनले जोन्स | सदस्य (पदेन) |
| ५. | डा. प्रमोद कुमार जैन | सदस्य |
| ६. | वैद्य वेद प्रकाश त्यागी | सदस्य |
| ७. | डा. रामानाथन देवराज अय्यर | सदस्य |
| ८. | डा. वी. अरुणाचलम | सदस्य |
| ९. | डा. निरंजन सिंह त्यागी | सदस्य |
| १०. | डा. मोहम्मद खालिद सिद्दीकी | सदस्य |
| ११. | डा. रशीदुल्लाह खान | सदस्य |

परिषद् एवं समितियों की बैठकें

वर्ष २०१०.२०११ के दौरान निम्नलिखित बैठकें हुई :-

१. दिनांक ५ एवं ६.४.२०१० को यूनानी समिति की बैठक
२. दिनांक ८.६ एवं १०.४.२०१० को आयुर्वेद महाविद्यालयों के परिदर्शन प्रतिवेदन की छानबीन हेतु गठित समिति की बैठक
३. दिनांक ८.६ एवं १०.४.२०१० को यूनानी महाविद्यालयों के परिदर्शन प्रतिवेदन की छानबीन हेतु गठित समिति की बैठक
४. दिनांक २०.२१ एवं २२.४.२०१० को आयुर्वेद के महाविद्यालयों की परिदर्शन प्रतिवेदन की छानबीन हेतु गठित समिति की बैठक
५. दिनांक २०.२१ एवं २२.४.२०१० को यूनानी महाविद्यालयों के परिदर्शन प्रतिवेदन की छानबीन हेतु गठित समिति की बैठक
६. दिनांक २३.४.२०१० को सिद्ध महाविद्यालयों के परिदर्शन प्रतिवेदन की छानबीन हेतु गठित समिति की बैठक
७. दिनांक ३०.४.२०१० को अध्यक्ष भा.चि.के.प. द्वारा गठित चपरासी की सीधे भर्ती हेतु विचार करने हेतु समिति की बैठक
८. दिनांक १३ एवं १४.५.२०१० को आयुर्वेद महाविद्यालयों के परिदर्शन प्रतिवेदन की छानबीन हेतु गठित समिति की बैठक
९. दिनांक १५ एवं १६.५.२०१० को आयुर्वेद में $7\frac{1}{2}$ वर्षीय पाठ्यक्रम स्नातकीय स्तर पाठ्यक्रम को पुर्णजीवित करने हेतु विचार करने हेतु समिति की दूसरी बैठक
१०. दिनांक १७ एवं १८.५.२०१० को कार्यकारिणी समिति की १५६वीं बैठक
११. दिनांक २६ एवं २७.५.२०१० को यूनानी महाविद्यालयों के परिदर्शन प्रतिवेदन की छानबीन हेतु गठित समिति की बैठक
१२. दिनांक २८.५.२०१० को कार्यकारिणी समिति की १५७ वीं बैठक
१३. दिनांक २ एवं ३.६.२०१० को आयुर्वेद महाविद्यालयों के परिदर्शन प्रतिवेदन की छानबीन हेतु गठित समिति की बैठक
१४. दिनांक ३.६.२०१० को यूनानी महाविद्यालयों के परिदर्शन प्रतिवेदन की छानबीन हेतु गठित समिति की बैठक
१५. दिनांक ७.६.२०१० को आयुर्वेद महाविद्यालयों के परिदर्शन प्रतिवेदन की छानबीन हेतु गठित समिति की बैठक
१६. दिनांक ८.६.२०१० को यूनानी महाविद्यालयों के परिदर्शन प्रतिवेदन की छानबीन हेतु गठित समिति की बैठक
१७. दिनांक ९.६.२०१० को श्री बी.के.राजू से प्राप्त उत्तर की जाँच हेतु उपसमिति की बैठक
१८. दिनांक २८.६.२०१० को कार्यकारिणी समिति की १५८वीं बैठक
१९. दिनांक २८.६.२०१० को आयुर्वेद विशेषज्ञों के अभ्यार्थियों के साक्षात्कार हेतु उप-समिति की बैठक
२०. दिनांक २८.६.२०१० को कानूनी परामर्शदाता के अभ्यार्थियों के साक्षात्कार हेतु उप-समिति की बैठक
२१. दिनांक २८.६.२०१० को आयुर्वेद समिति की बैठक
२२. दिनांक २८.६.२०१० को शिक्षा समिति (यूनानी) की बैठक
२३. दिनांक २८.६.२०१० को यूनानी समिति की बैठक
२४. दिनांक २८.६.२०१० को सिद्ध विशेषज्ञ के अभ्यार्थियों के साक्षात्कार हेतु उप-समिति की बैठक
२५. दिनांक ३०.६.२०१० को भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् की ४६वीं बैठक
२६. दिनांक ६.७.२०१० को अतिथि गृह के निरीक्षण हेतु गठित उप-समिति की बैठक
२७. दिनांक ७.७.२०१० को केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के प्रकरण पर गठित उप-समिति की बैठक
२८. दिनांक ८.७.२०१० को स्नातकोत्तर डिलोमा हेतु गठित उप-समिति की बैठक
२९. दिनांक १२.७.२०१० को आयुर्वेद महाविद्यालय एवं मूर्म अस्पताल के मानदंडों और प्रतिमान के निर्धारण हेतु उप-समिति की बैठक

३०. दिनांक १५.७.२०१० को अध्यक्ष भा.चि.के.प. के साथ चर्चा हेतु बैठक
३१. दिनांक २७.७.२०१० को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विशेष प्रस्ताव हेतु बैठक
३२. दिनांक २६ एवं ३०.७.२०१० को यूनानी के कार्यालय कार्य हेतु बैठक
३३. दिनांक ८ एवं ६.८.२०१० को आयुर्वेद के प्राथमिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप देने हेतु कोर समिति की बैठक
३४. दिनांक ६ एवं १०.८.२०१० को क्षार सूत्र, प्रसूति एवं स्त्री रोग विषय में स्नातकीय पाठ्यक्रम की अन्तिम रूप देने के लिए कोर समिति की बैठक
३५. दिनांक ६.८.२०१० को महाविद्यालय से प्राप्त दस्तावेजों की जाँच करने हेतु छानबीन समिति की बैठक
३६. दिनांक १६ एवं १७.८.२०१० को काय चिकित्सा, मानस रोग, पंचकर्म, प्रसूति एवं स्त्री रोग,, कौमारभूत्य एवं शल्यतंत्र छाया एवं विकिरण विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिए कोर समिति की बैठक
३७. दिनांक १७.८.२०१० को सचिव द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की जाँच हेतु समिति की बैठक
३८. दिनांक १७.८.२०१० को महाविद्यालयों से प्राप्त दस्तावेजों की जाँच हेतु छानबीन समिति की बैठक
३९. दिनांक १८.८.२०१० को १५६वीं कार्यकारिणी की स्थगित बैठक
४०. दिनांक १६.८.२०१० को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रकरण की जाँच हेतु समिति की बैठक
४१. दिनांक १६.८.२०१० को रेडियोलोजी, संज्ञाहरण एवं रोगनिदान विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अन्तिम रूप देने के लिए कोर समिति की बैठक
४२. दिनांक २१.९.२०१० एवं २३.९.२०१० को आयुर्वेद सिद्धांत एवं दर्शन, आयुर्वेद सहिता, द्रव्यगुण, नेत्र रोग विज्ञान, मुख एवं दन्त, शल्य तंत्र (सामन्य), क्षार कर्म एवं अनुशंसाकर्म रोग विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिए कोर समिति की बैठक
४३. दिनांक २६.८.२०१० को क्रय हेतु गठित उप-समिति की बैठक
४४. दिनांक ८.९.२०१० को आयुर्वेद विशेषज्ञों एवं सहायक (सेवानिवृत्त) अभ्यार्थियों के साक्षात्कार हेतु उपाध्यक्षों की बैठक
४५. दिनांक २८.८.२०१० एवं ३०.९.२०१० को रिसर्च मैथोडोलोजी, फॉर्माकोग्नोसी प्रसूति एवं स्त्रीरोग विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिए कोर समिति की बैठक
४६. दिनांक ७.९.२०१० को प्रत्यायन समिति की बैठक
४७. दिनांक २०.९.२०१० को कार्यकारिणी समिति की १६०वीं बैठक
४८. दिनांक २६.९.२०१० को छानबीन आयुर्वेद महाविद्यालयों से प्राप्त दस्तावेजों की जाँच हेतु छानबीन समिति की बैठक
४९. दिनांक ३.९.२०१० को वेस्टर्न सर्विसिस के बिलों की जाँच हेतु उप-समिति की बैठक
५०. दिनांक ३.९.२०१० को शिक्षकों के असत्य प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु गठित उप-समिति की बैठक
५१. दिनांक ६ एवं १०.९.२०१० को क्लिनिक स्थापना एवं नियमन अधिनियम हेतु उप-समिति की बैठक
५२. दिनांक २३.९.२०१० को यूनानी में आधुनिक चिकित्सा पद्धति को यूनानी चिकित्सकों के अपनाने हेतु मार्ग निर्देश निर्धारण हेतु गठित उप-समिति की बैठक
५३. दिनांक २४.९.२०१० को कार्यकारिणी समिति की १६५वीं बैठक
५४. दिनांक २४.९.२०१० को आयुर्वेद समिति की बैठक
५५. दिनांक २४.९.२०१० को यूनानी समिति की बैठक
५६. दिनांक २४.९.२०१० को सिद्ध समिति की बैठक
५७. दिनांक २५.९.२०१० को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की बैठक

५८. दिनांक ३.९.२०१९ को विभिन्न कोर्ट केस की उप-समिति की बैठक
५९. दिनांक ३.९.२०१९ को पंजाब में आयुर्वेद महाविद्यालय के स्थानान्तरण की जाँच हेतु गठित उप-समिति की बैठक
६०. दिनांक १३ एवं १४.९.२०१९ को आयुर्वेद के पाठ्यविवरण को अंतिम रूपरेखा हेतु गठित उप-समिति की बैठक
६१. दिनांक २४.९.२०१९ को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को अतिरिक्त परिश्रमिक एवं सुविधाएँ के विचार हेतु बैठक
६२. दिनांक ३१.९.२०१९ को कार्यकारिणी समिति की १६२वीं बैठक
६३. दिनांक ७.२.२०१९ को स्नातकोत्तर डिलोमा (आयुर्वेद में) पाठ्यक्रम बनाने हेतु बैठक
६४. दिनांक ८.२.२०१९ को आयुर्वेद के स्नातकोत्तर (डिलोमा) कोर्स की मान्यता शामिल करने हेतु विचार
६५. दिनांक ३ एवं ४.३.२०१९ को आयुर्वेद महाविद्यालयों के परिदर्शन हेतु परिदर्शकों की सूची तैयार करने हेतु बैठक
६६. दिनांक ३.३.२०१९ को यूनानी महाविद्यालयों के परिदर्शन हेतु परिदर्शकों की सूची तैयार करने की बैठक
६७. दिनांक ६ एवं १०.३.२०१९ को आयुर्वेद महाविद्यालयों के परिदर्शन हेतु परिदर्शकों की सूची तैयार करने की बैठक
६८. दिनांक ६.३.२०१९ को सिद्ध महाविद्यालयों के परिदर्शन हेतु परिदर्शकों की सूची तैयार करने हेतु बैठक
६९. दिनांक ११.३.२०१९ को यूनानी महाविद्यालयों के परिदर्शन हेतु परिदर्शकों की सूची तैयार करने हेतु बैठक
७०. दिनांक २३ एवं २४.३.२०१९ को शिक्षकों के असत्य अनुभव/प्रमाण पत्रों की जाँच करने हेतु उपसमिति की बैठक
७१. दिनांक २३.३.२०१९ को परिदर्शकों की सूची तैयार करने हेतु बैठक

आयुर्वेद

अनुशंसाओं के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं :-

आयुर्वेद समिति शिक्षा के माध्यम को निम्नानुसार पुनर्विचार करने हेतु सहमत हुई :-

- संस्कृत, हिन्दी अथवा अंग्रेजी तथा प्रकरण पर शिक्षकों, छात्रों तथा महाविद्यालयों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करने का भी निर्णय लिया ।
- आयुर्वेद समिति ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर विनियमों का पुनरीक्षण किया ।
- स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पुनरीक्षित पाठ्य विवरण को कोर समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया ।
- विश्व आयुर्वेद दिवस समारोह मनाने के सम्बन्ध में रीति अथवा योजना निश्चित की गई । २८ दिसम्बर को विश्व आयुर्वेद दिवस घोषित करने के बारे में इसे राज्य सरकार को उनकी टिप्पणी हेतु अंग्रेजित किया गया ।

चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० (१९७० का ४८) की धारा १४ उपधारा (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय चिकित्सीय केन्द्रीय परिषद् के परामर्श से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की द्वितीय अनुसूची में आयुर्वेद की निम्न चिकित्सीय अर्हताओं को वर्ष २०१०-२०११ के दौरान मान्यता दी/समिलित किया :-

चिकित्सा संस्थान के विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता का नाम	पंजीयन के लिए संक्षिप्त नाम	टिप्पणी
१. डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	२. आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी) आयुर्वेद वाचस्पति (डाक्टर आफ मेडिसिन) आयुर्वेद	३. बी.ए.एम.एस.	४. १६६५ से २००५ तक
२. ६८(ग) अमृता विश्वविद्यालय, विद्यापीठ विश्वविद्यालय, कोल्काता	आयुर्वेदाचार्य बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	५. एम.डी. (आयु.) एम.डी. (आयु.)	१६६५ से २००८ तक
			२०१० से आगे

नए महाविद्यालयों को अनुमति

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ (क) के अन्तर्गत नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, २००३ के प्रावधानानुसार भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग से आयुर्वेद महाविद्यालयों की स्थापना हेतु १५ प्रस्ताव, प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु ०८ प्रस्ताव तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु ३० प्रस्ताव विभिन्न महाविद्यालयों से प्राप्त हुए थे। केन्द्रीय परिषद् ने संस्थाओं का निरीक्षण किया तथा योजना के अनुमोदन तथा निरनुमोदन के लिए आयुष विभाग को संस्तुतियाँ भेजी गयी।

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि के दौरान नए महाविद्यालय की स्थापना हेतु ७ एवं ६ महाविद्यालयों का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अनुमति हेतु परिदर्शन किया गया तथा भारत सरकार को संस्तुतियाँ भेजी गई ।

नए प्रास्तव

क्रम संख्या	कालेज का नाम
१.	शिव गोमती जन कल्याण समिति रेसन, मध्यप्रदेश
२.	डा. डी. पी. सिंह समिति सेवा संस्थान शहांजहापुर, उत्तरप्रदेश
३.	निरोगधाम जनकल्याण सेवा संस्थान अकलोरा जिला जलालपुर, राजस्थान
४.	एम. एन. एस. मेडिकल एण्ड एजूकेशनल सोसाईटी, बीकानेर, राजस्थान
५.	श्री धनेश्वरी मानव मंडल औरंगाबाद (श्रीमती शन्तदेवी वेदप्रकाश पाटिल आयुर्वेद कालेज, हाट)
६.	श्री प्रभा देव हेम कामधेनु गिरविहार ट्रस्ट धारीवाल आयुर्वेद कालेज, वागलधारा, गुजरात
७.	श्री लभधीविक्रम राज अरोग्याधाम संस्थान, पारानगर, दुर्गा, छत्तीसगढ़

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

क्रम संख्या	कालेज का नाम
१.	डी. वाई. पाटिल कालेज ऑफ आयुर्वेद एवं रिसर्च संस्थान, नेरुल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र
२.	लोकनेते राजारामबाबू पाटिल आयुर्वेद कालेज इस्लामपुर, महाराष्ट्र
३.	एस. डी. एम. कालेज ऑफ आयुर्वेद, हसन, कर्नाटक
४.	महाराष्ट्र अरोग्य मण्डल सुमती भाई शाह आयुर्वेद महाविद्यालय, हडप्सर, पुणे, महाराष्ट्र
५.	यशवंत आयुर्वेद महाविद्यालय कोडोली, महाराष्ट्र
६.	छत्रपति साहू महाराज शिक्षण संस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय, औरंगाबाद, महाराष्ट्र

महाविद्यालयों का परिदर्शन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने धारा १३ ग के अधीन अपेक्षित वर्ष २०१०-११ के लिए अनुमति दी/अनुमति नहीं दी जाने का पत्र जारी करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा भेजने के लिए १४३ आयुर्वेद महाविद्यालयों का परिदर्शन आयोजित किया।

क्रम संख्या	कालेज का नाम	परिदर्शन की तिथि
१.	वागदेवी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, बोल्लीकुन्टा, वारंगल (अ.प्र.)	२८-२६.३.२०११
२.	एस.वी. आयुर्वेद महाविद्यालय टी.टी. देवस्थानम, तिरुप्पति-५९७५०९ (अ.प्र.)	२८-२६.३.२०११
३.	श्री वागेश्वरी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, एलएमडी पुलिस स्टेशन के पीछे, रामकृष्ण कालोनी, करीमनगर-५०५४८९ (अ.प्र.)	२८-२६.३.२०११
४.	स्वामी राघवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी आयुर्वेद महाविद्यालय, करजरा स्टेशन, पो.आ. मंडोली, गया - ८२३००९ (बिहार)	२८-२६.३.२०११
५.	नीतिश्वर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, बावन बीघा, कन्हौली, पो.आ. रमना, मुजफ्फरपुर-८४२००२	२८-२६.३.२०११
६.	दयानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, सीवान-८४२६६ (बिहार)	२८-२६.३.२०११
७.	छत्तीसगढ़ आयुर्वेद महाविद्यालय जी.ई.रोड, मंकी, राजनन्दगांव ४६९४४९ (छत्तीसगढ़)	२८-२६.३.२०११
८.	राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, ग्राम चन्दखुरी, पोस्ट चन्दखुरी, गुन्देरदेही रोड, जिला दुर्ग - ४६९२२९ (छत्तीसगढ़)	२८-२६.३.२०११
९.	आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बिया महाविद्यालय अजमल खाँ रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-११०००५	२८-२६.३.२०११

१०.	भारतीय संस्कृत प्रबोधिनी गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केन्द्र वाजेम, शिरोदा-४०३१०३ (गोवा) जिला-साउथ गोवा	२८-२६.३.२०११
११.	पारस्ल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद पो.आ. लिम्डा तह. वाधोडिया, जिला वडोदरा ३६९७६० (गुजरात)	२८-२६.३.२०११
१२.	श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय अस्थल बोहर, रोहतक-९२४००९	२८-२६.३.२०११
१३.	श्री मारुसिंह मेमोरियल महिला आयुर्वेद डिग्री महाविद्यालय, कन्या गुरुकुल, खानपुर कल्तौ, सोनीपत-९२४३०९	२८-२६.३.२०११
१४.	गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्राम ब्राह्मणवास, जिला रोहतक-९२४००९	२८-२६.३.२०११
१५.	चौधरी देवीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय भगवान परशुराम एजूकेशन ट्रस्ट, अम्बाला रोड, जगाधरी ९३५००३	२८-२६.३.२०११
१६.	जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एवं रिसर्च मुर्शी, नरधनी रायपुर, बन तलाब रोड, जम्मूतवी-९८९९२३	२८-२६.३.२०११
१७.	सूर्यमुखी दिनेश आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल दिनेश नगरम, बूटी, रांची-८३५२१७	२८-२६.३.२०११
१८.	सेठ मुरारी लाल रासीविसिया आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, आर.के.गुप्ता मार्ग, चरखीदारी-९२७३०६	२८-२६.३.२०११
१९.	श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, सैकटर-४६ बी, चण्डीगढ़-९६००९९	२८-२६.३.२०११
२०.	जे.एस. आयुर्वेद महाविद्यालय कॉलेज रोड, नाडियाड-३८७००९	२८-२६.३.२०११
२१.	ए.एल.एन.राव मेमोरियल आयुर्वेद महाविद्यालय जिला- चिकमगलूर, कोप्पा-५७७९२६	२८-२६.३.२०११
२२.	एन.के. जाबाशेट्टी सिद्धरख्द मथ आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, मनहल्ली रोड, बीदर- ५८५१०३	२८-२६.३.२०११
२३.	अश्विनी एजूकेशनल एसोसिएशन आयुर्वेद महाविद्यालय, ९८५९/३३, अंजनया लेआउट दावनगरे-५७७५६६ (कर्नाटक)	२८-२६.३.२०११
२४.	एस.एस. आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय इसारीलकमापुर, पी.बी.रोड, हावेरी-५८९९९० जिला हावेरी (कर्नाटक)	२८-२६.३.२०११

२५.	बापूजी आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय राजेन्द्र नगर, मैन रोड, शिमोगा-५७७२०९ (कर्नाटक)	२८-२६.३.२०११
२६.	बापूजी आयुर्वेदिक महाविद्यालय चल्लाकेरे-५७७५२२ जिला- चित्रदुर्ग	२८-२६.३.२०११
२७.	टी.एम.ए.ई. सोसायटी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, संकलापुर, टांडा, बेल्लरी रोड, होसपेट -५८३२०९	२८-२६.३.२०११
२८.	टी.एम.ए.ई. सोसायटी आयुर्वेद महाविद्यालय, पो.आ. निदगी, शिमोगा ५७७२२२ (कर्नाटक)	२८-२६.३.२०११
२९.	अमृथा आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय ओनाके ओब्बा स्टेडियम के पीछे, जिला- चित्रदुर्ग-५७७५०९	२८-२६.३.२०११
३०.	श्री विजय महेन्तेश आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय पी.बी. नं. १५, इल्कल-५८७९२५ जिला बगलकोट (कर्नाटक)	२८-२६.३.२०११
३१.	एस.डी.एम.आयुर्वेद महाविद्यालय पोस्ट बाक्स नं. १६४, तरनीखल्ला, बी.एम.रोड, हसन-५८३२०९ (कर्नाटक)	२८-२६.३.२०११
३२.	के.वी.जी. आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, कुरुंजी बाग सुलिल्या-५८४३२९ जिला- दक्षिण कन्नड (कर्नाटक)	२८-२६.३.२०११
३३.	श्री कालभैरवेश्वर स्वामी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, नं. १०, पाईप लाइन रोड, आर.पी.सी. लेआउट, (आडिचुनचनगिरी मट्ट) विजयनगर, बंगलौर-५६००४०	२८-२६.३.२०११
३४.	भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसन एवं रिसर्च, बंगलौर पैलेस कम्पाउण्ड, जया महल रोड, बंगलौर-५६०००६	२८-२६.३.२०११
३५.	अल्यास आयुर्वेदिक महाविद्यालय, मूदबिदरी, जिला दक्षिण कन्नड-५८४२२७	२८-२६.३.२०११
३६.	श्री वासवेश्वर विद्या वर्धक संघ आयुर्वेद महाविद्यालय, बगलकोट जिला बगलकोट-५८७९०९ (बीजापुर)	२८-२६.३.२०११
३७.	श्री जगदगुरु गवीसिद्धेश्वर संस्थान, गवीमठ, कोप्पल-५८२२३९	२८-२६.३.२०११
३८.	ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, ता.-जमखण्डी, टरडल-५८७३१५ जिला बगलकोट (कर्नाटक)	२८-२६.३.२०११

३६.	श्री शिवयोगेश्वर खरल आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, इन्वल-५६९९२९	२८-२६.३.२०११
४०.	श्री हिंगलम्बिका एजूकेशन सोसायटी आयुर्वेद महाविद्यालय, सिद्धरामराव अस्तिकर मार्ग, भवानी नगर, मक्तमपुरा, गुलबर्गा-५८५९०९	२८-२६.३.२०११
४१.	राजीव गौधी एजूकेशन सोसायटी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, रौन-५८२२०६	२८-२६.३.२०११
४२.	धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल पो.आ. सिद्धपुर- ५८९३५५ (कर्नाटक)	२८-२६.३.२०११
४३.	रामा कृष्णा आयुर्वेद महाविद्यालय नं.२३४५/२९८५, रामना कॉलेज रोड, कामाक्षी पलाया मागदी रोड, अर्बन रोड, बंगलौर-५६००७६	२८-२६.३.२०११
४४.	कर्नाटक आयुर्वेद महाविद्यालय के.ई.सी.टी. टावर, निकट दैवजना कल्याण मण्ठप, होइगे बैल, अशोक नगर, पो.आ. मंगलौर	२८-२६.३.२०११
४५.	सुश्रुत आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय न.५, स्य. नं. २३, कठरीगुप्त वी.एस.के. III स्टेज, बंगलौर-५६००८५	२८-२६.३.२०११
४६.	जकारिया आयुर्वेद महाविद्यालय, गुलबर्गा	
४७.	श्री श्री आयुर्वेदिक विज्ञान एवं अनुसंधान महाविद्यालय, बंगलौर	२८-२६.३.२०११
४८.	सी.बी. गुट्टल आयुर्वेद महाविद्यालय, एवं अस्पताल दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, पी.बी. नं.४२, डी.सी. कम्पाउण्ड, धारवाड ५८०००९ (कर्नाटक)	२८-२६.३.२०११
४९.	अत्रेय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, कोडीगेहल्ली, दोडदाबल्लापुरा, तालुक बंगलौर	२८-२६.३.२०११
५०.	श्री सिद्धरामेश्वर आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, नौबाद, बीदर-५८५४०२	२८-२६.३.२०११
५१.	अश्विनी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंस्थान केन्द्र रिंग रोड, मरालउर तुमकुर ५८२९०५	२८-२६.३.२०११
५२.	धन्वन्तरि आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, शिव शंकर नगर इन्डस्ट्रीयल इस्टेट एस एम १-४, जतराट रोड, निपानी-५८९२३७ (बंगलौर)	२८-२६.३.२०११

५३.	आचार्य देशभूषण आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय बेडकिहल, शामनेवाडी (शान्ती नगर) जिला बेलगांव ५६१२१४	२८-२६.३.२०११
५४.	श्री सिद्धविनायक रूरल आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय हलगोरी रायबाग, बेलगाम (कर्नाटक)	२८-२६.३.२०११
५५.	श्रीमति राजेश्वरी करपुरीमथ मेमोरियल आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सी.एम.सी. अस्पताल, बिल्डिंग बडी, कामाह रोड, बीजापुर ५८६१०४	२८-२६.३.२०११
५६.	पी.एन. पाणिकर सौहरुदा ट्रस्ट पी.एन. पाणिकर सौहरुदा आयुर्वेद महाविद्यालय पाराकल्ड, करुनगड, कसारगोड केरल	२८-२६.३.२०११
५७.	सान्थीगिरी आयुर्वेद महाविद्यालय ओलासरसेरी, पलक्कड-६७८५५१ (केरल)	२८-२६.३.२०११
५८.	विष्णु आयुर्वेद महाविद्यालय, पो.आ. सरकारी प्रेस शोरानूर-२ जिला पलक्कड	२८-२६.३.२०११
५९.	दी.पी.एस. वरियर आयुर्वेद महाविद्यालय कोट्टक्कल, जिला मालपुरम इडरीकोडे-६७६५०९	२८-२६.३.२०११
६०.	मनम आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, पन्डालम	२८-२६.३.२०११
६१.	पी.एन.एम.एम. भारतीयशास्त्र विद्यापीठ, करेलीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं समाजम अस्पताल, (शोरानूर)	२८-२६.३.२०११
६२.	आहिल्या आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, कोङिपाडा, पालाककड, केरल	२८-२६.३.२०११
६३.	पंकज कस्तूरी आयुर्वेद महाविद्यालय, किल्ली जंक्शन, कल्लोडे कल्ताकाडा, तिस्क्वन्यापुरम	२८-२६.३.२०११
६४.	पर्सियनिककादवु आयुर्वेद महाविद्यालय, पो.आ. पर्सियनिककादवु, जिला कन्नूर ६७०५६३	२८-२६.३.२०११
६५.	अमृता आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, कुलेसेखरापुरम, वल्लीकादवु, जिला कोल्लम ६६०५२५	२८-२६.३.२०११
६६.	प.शिवशक्तिलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय ४८७, कट्टू नगर, रत्नाम	२८-२६.३.२०११
६७.	अंजीवन स्वास्थ्य समवर्धन आयुर्वेद महाविद्यालय, चित्रकूट सतना (मध्य प्रदेश)	२८-२६.३.२०११

६८.	रानी दुल्लैया आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल जैड-२४ जोन ९, एम.पी.नगर, भोपाल-४६२०११	२८-२६.३.२०११
६९.	वीणावादिनी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल श्रीराम मन्दिर के सामने, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल ४६०००९	२८-२६.३.२०११
७०.	ओम आयुर्वेद महाविद्यालय जमथी, पो.आ. भारत भारती, बेतूल-४६०००९ (म.प्र.)	२८-२६.३.२०११
७१.	भवंरलाल नाहाटा समिति, मन्दौर, (म.प्र.)	२८-२६.३.२०११
७२.	भारती विद्यापीठ आयुर्वेद महाविद्यालय कटराज धानकवाडी, जिला एग्ज-४९१०४३	२८-२६.३.२०११
७३.	आयुर्वेद महाविद्यालय श्री शिवाजी नगर, तह.राहूरी, राहूरी फैक्ट्री, अहमदनगर-४९३७०६	२८-२६.३.२०११
७४.	महाराष्ट्र अरोग्य मंडल सुमिति भाई शाह आयुर्वेद महाविद्यालय, मालावाडी, हडपसर-४९९०२८ पुणे	२८-२६.३.२०११
७५.	आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केन्द्र, अकुर्दी-४९९०४४ पुणे	२८-२६.३.२०११
७६.	संगम सेवाभावी ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय, पूना नासिक रोड, संगमनेर-४२२६०५ जिला-अहमदनगर (महाराष्ट्र)	२८-२६.३.२०११
७७.	वसन्त कुसुम रूरल योग एवं आयुर्वेद संस्थान सिद्धकला आयुर्वेद महाविद्यालय, नेहरू चौक, संगमनेर-४२२६०५ जिला-अहमदनगर	२८-२६.३.२०११
७८.	भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट आयुर्वेद विश्वशाति धाम, वाघोली ४९२२०७ तह. हवेली, जिला- पुणे	२८-२६.३.२०११
७९.	यशवन्त आयुर्वेद महाविद्यालय स्थान एवं पो.आ. कोडोली-४९६११४ जिला- कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	२८-२६.३.२०११
८०.	हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडल आयुर्वेद महाविद्यालय पेट- वडेगांव, तह. हटकननाले, जिला-कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	२८-२६.३.२०११
८१.	गंगा एजूकेशन सोसायटी आयुर्वेद महाविद्यालय, केयर ऑफ गंगा अस्पताल, नई बिल्डिंग, रंकलावेस, जिला- कोल्हापुर	२८-२६.३.२०११
८२.	श्रीमति के.सी.अजमेरा आयुर्वेद महाविद्यालय, एजूकेशन लैम्पस, देवपुर, धूले-४२४२०२ (महाराष्ट्र)	२८-२६.३.२०११

८३.	दादा साहेब सुखपसिंह नाईक आयुर्वेद महाविद्यालय, श्री सूवालाल बाफना, विद्यानगर, मुम्बई आगरा महाराष्ट्र, ननगाँव, धूले-४२४००४ (महाराष्ट्र)	२८-२६.३.२०११
८४.	किसान ज्ञानोदय मण्डल गुधे आयुर्वेद महाविद्यालय महाराजा प्रताप हाऊसिंग सोसायटी अन्ना साहेब सोनूसिंह पाटिलनगर, स्थान- चालीसगाँव, जिला-जलगाँव	१०-११.२.२०१०
८५.	चैतन्य आयुर्वेद महाविद्यालय साकेंगाँव, भूसावल-४२५२०९ जिला- जलगाँव	२८-२६.३.२०११
८६.	येरला मेडिकल ट्रस्ट एवं आयुर्वेद महाविद्यालय सैक्टर नं.४, खारघर स्टेशन, नवी मुम्बई, जिला रायगढ़, मुम्बई-४००६१४	२८-२६.३.२०११
८७.	नालासोपारा आयुर्वेद महाविद्यालय , स्व. श्री सुरेश नरसिंह दुबे) पो.आ. नालासोपारा ता.-वसई-४०१२०६ जिला- ठाणे (महाराष्ट्र)	२८-२६.३.२०११
८८.	भाऊ साहेब मूलक आयुर्वेद महाविद्यालय ग्रेटनाग मार्ग, नन्दनवन, नागपुर-४४०००६ (महाराष्ट्र)	२८-२६.३.२०११
८९.	कैंपन केदारी रेडेकर आयुर्वेद महाविद्यालय, पी-२, एमआईडीसी, गांधीगलाज, जिला कोल्हापुर -४१६५०२	२८-२६.३.२०११
९०.	ग्रामीण आयुर्वेद महाविद्यालय पातूर-४४४५०९ जिला अकोला (महाराष्ट्र)	२८-२६.३.२०११
९१.	श्री सप्तशृंगी आयुर्वेद महाविद्यालय यशवन्त मंडाय, रविवार पेठ, जिला नासिक-४२२००९	२८-२६.३.२०११
९२.	श्री गजानन महाराज संस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय, पूसद-४४४२०४ जिला येओतमल (महाराष्ट्र)	२८-२६.३.२०११
९३.	स्व.सुनील रामसिंह जी चूनेवाले आयुर्वेद महाविद्यालय, दीनदयाल नगर, चिखली-४४३२०९ जिला- बुलढाना	२८-२६.३.२०११
९४.	महादेवराव शिवंकर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसन्धान संस्थान, कटंगी कला, गोडिया	२८-२६.३.२०११
९५.	पदम् श्री डा. विट्टलराव विखल पाटिल फाउण्डेशन आयुर्वेद महाविद्यालय, शेवांगाँव, जिला अहमदनगर	२८-२६.३.२०११
९६.	डा. डी.वाई.पाटिल प्रतिष्ठान आयुर्वेद महाविद्यालय, पिंपरी, पुणे-४११०९८	२८-२६.३.२०११

९७.	महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान आयुर्वेद महाविद्यालय, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, पुणालिक नगर, देगांव, रिसोर्ट, जिला वाशिम (महाराष्ट्र)	२८-२६.३.२०११
९८.	श्री गुरुकृष्ण शिक्षण प्रसारक मंडल, राहुल ग्रा. कोसारा रोड, पाडोली चंद्रापुर	२८-२६.३.२०११
९९.	जूपिटर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं तरिणी आयुर्वेद अस्पताल सवारकर नगर, खामता रोड, नागपुर-१५	२८-२६.३.२०११
१००.	अन्नासाहेब डांगे आयुर्वेद महाविद्यालय अष्टा, तह. वल्वा, जिला सांगली ४१६३०९	२८-२६.३.२०११
१०१.	मंजारा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, केयर ऑफ जिला परिषद बॉयज स्कूल, गांधी मैदान, भोई गल्ल, लातूर -४१३५३९	२८-२६.३.२०११
१०२.	रामाराव पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं रुग्णालय, पुरणा, तह. -पुरणा जिला -परभानी (महाराष्ट्र)	२८-२६.३.२०११
१०३.	महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाईटी, धनेखुट-लोटे, तासील-खेड जिला रत्नागिरी	२८-२६.३.२०११
१०४.	अश्विन रुरल आयुर्वेद महाविद्यालय साधवी प्रीती सुधाजी महाराज नार, मांची हिल्स, अश्वी बीके. तह. संगमनेर, जिला-अहमदनगर-४१३७९४	२८-२६.३.२०११
१०५.	धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय, उदीरी, कला मन्दिर के सामने, नान्देड रोड, उदीरी, जिला-लातूर-४१३५१७	२८-२६.३.२०११
१०६.	जे.जे.मगदम आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय शिरोलवाडी रोड, जयसिंहपुर-४१६९०९ (जिला कोल्हापुर)	२८-२६.३.२०११
१०७.	रुरल इंस्टीट्यूट आफ आयुर्वेद एवं अनुसन्धान केन्द्र अस्पताल मयानी, एट विद्यागिरी मयानी, तह. खाटव, जिला सतारा (महाराष्ट्र)	२८-२६.३.२०११
१०८.	लोकनेते राजारामबापू पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय बाहे नाका के पास, बाहे रोड इस्लामपुर, तह- वल्वा, जिला सांगली (महाराष्ट्र)	२८-२६.३.२०११
१०९.	महात्मा गांधी आयुर्वेद महाविद्यालय, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, स्वंगी (मेघे), (सलोद हीरापुर मौसा एरिया) वर्धा (महाराष्ट्र)	२८-२६.३.२०११
११०.	आदित्य आयुर्वेद महाविद्यालय एट तेलगाँव रोड, जिला बीड ४३११२२ (महाराष्ट्र)	२८-२६.३.२०११

१११.	एस.एस.यू.डी. आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल करनजा (लाद), जिला वाशिम (महाराष्ट्र)	
११२.	श्री के.आर. पांडव आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल बहादुरा, दिघोरी नाका के पास, उमेर रोड, नागपुर	२८-२६.३.२०११
११३.	पदमश्री डा. डी. वाई. पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसन्धान संस्थान, नेसल, नवी मुंबई, सैक्टर ७, नेसल, नवी मुंबई ४००७०६	२८-२६.३.२०११
११४.	मधूरभंज आयुर्वेद महाविद्यालय स्थान एवं पो. ताकतपुर, बारीपाडा जिला-मधूरभंज-७५७००३	२८-२६.३.२०११
११५.	इन्दिरा गांधी मेमोरियल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल जगुमारा, पो.आ.- खण्डश्री, भुवनेश्वर-७५९०३०	२८-२६.३.२०११
११६.	देशभगत आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल पोस्ट बाक्स नं.७८, मण्डी गोविन्दगढ़-१४७३०९ जिला-फतेहगढ़ साहिब	२८-२६.३.२०११
११७.	माई भागो महिला आयुर्वेदिक महाविद्यालय फिरोजपुर रोड, मुक्तसर-१५२०२६	२८-२६.३.२०११
११८.	गुरुनानक आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल बारा खण्डी रोड, निकट अजीत सिनेमा, मुक्तसर-१५२०२६	२८-२६.३.२०११
११९.	गुरु नानक आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसन्धान संस्थान, मलेर कोटला रोड, गोपालपुर, लुधियाना	२८-२६.३.२०११
१२०.	श्री लक्ष्मीनारायण आयुर्वेद महाविद्यालय संत तुलसीदास मार्ग, अमृतसर-१४७००९	२८-२६.३.२०११
१२१.	शहीद करतार सिंह सरभा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्राम एवं डाकखाना. सरभा, जिला- लुधियाना	२८-२६.३.२०११
१२२.	बोबे के आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल ग्राम एवं पो.आ. दुधर, मोगा-१४२०५३	२८-२६.३.२०११
१२३.	हिमालयी आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, शामपुर, देहरादून	२८-२६.३.२०११
१२४.	संत सहारा आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल , भटिण्डा	२८-२६.३.२०११
१२५.	श्री शिरडी साई बाबा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुडियाघर, किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर	२८-२६.३.२०११
१२६.	श्री भत्तर लाल दुगड़ आयुर्वेद विश्व भारती महाविद्यालय, सरदार शहर	२८-२६.३.२०११

१२७.	जे.आर. टाटिया श्रीगंगानगर आयुर्वेदिक विज्ञान महाविद्यालय श्रीगंगानगर	२८-२६.३.२०११
१२८.	पंजाब आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल श्री गंगानगर	२८-२६.३.२०११
१२९.	शेखवाटी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, पिलानी	२८-२६.३.२०११
१३०.	आयुर्वेद महाविद्यालय, कोयम्बटूर	२८-२६.३.२०११
१३१.	श्री साईराम आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसन्धान संस्थान, चेन्नई	२८-२६.३.२०११
१३२.	श्री जयेन्द्र सरस्वती आयुर्वेद महाविद्यालय, नजरपेट	२८-२६.३.२०११
१३३.	यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय, खुरजा	२८-२६.३.२०११
१३४.	लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हैंडिया-२२९५०३ (इलाहाबाद)	
१३५.	श्री एस.जी. माईनोरिटी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल साहेडी, गाजीपुर	२८-२६.३.२०११
१३६.	अलीगढ़ आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय एवं अस्पताल, गुलमार्ग कम्पलैक्स, अनूपशहर रोड, अलीगढ़-२०२००२	२८-२६.३.२०११
१३७.	आयुर्योति आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल जोधपुरिया, सिरसा	२८-२६.३.२०११
१३८.	भारत आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय मुजफ्फरनगर उ.प्र.	२८-२६.३.२०११
१३९.	धनवन्तरि आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय मथुरा	
१४०.	उत्तराचल आयुर्वेद महाविद्यालय, देहरादून	२८-२६.३.२०११
१४१.	पतांजलि आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, सडकी, हरिद्वार	२८-२६.३.२०११
१४२.	बेली संकरपुर राजीब गान्धी मेमोरियल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, पो.आ. एवं ग्राम फिनगापाड़ा जिला २४, परगनास (एन) ७४३१२६ (पश्चिम बंगाल)	२८-२६.३.२०११

यूनानी

अनुशंसाओं के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं :-

- केन्द्रीय परिषद् ने कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत पाठ्यक्रम के विनियम तथा न्यूनतम मानकों में निम्नलिखित संशोधन करने हेतु सहमति दी :-
 (क) छात्र-शृंखला-अनुपात १:१ के स्थान पर १:२ होगा।
 (ख) यूनानी अस्पतालों में शृंखलाओं की न्यूनतम संख्या ५० के स्थान पर १०० होगी।

- यूनानी में स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर हेतु विनियम का पुनःनिरीक्षण किया गया।
- भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् के द्वारा यूनानी महाविद्यालयों एवं अस्पतालों हेतु न्यूनतम मानक एवं आवश्यकताओं का पुनःनिरीक्षण किया गया।
- प्राचार्य के पद हेतु स्नातकोत्तर अर्हता अनिवार्य नहीं बल्कि वांछनीय होगी।
- विश्व यूनानी दिवस मनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। 8 अक्टूबर विश्व यूनानी दिवस घोषित करने हेतु यह प्रस्ताव राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणी के लिये अग्रेषित किया गया।

चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० (१९७० का ४८) की धारा १४ उपधारा (२) द्वारा प्रकल्प शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय चिकित्सीय केन्द्रीय परिषद् के परामर्श से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की द्वितीय अनुसूची में यूनानी की निम्न चिकित्सीय अर्हता को वर्ष २०१०-२०११ के दौरान मान्यता दी/समिलित किया :-

चिकित्सा संस्थान के विश्वविद्यालय/ बोर्ड का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता का नाम	पंजीयन के लिए संक्षिप्त नाम	टिप्पणी
१.	२.	३.	४.
१. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहात (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	बी.यू.एम.एस.	२००६ से आगे

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १४ (२) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की परामर्श से द्वितीय अनुसूची में अन्य संशोधन किए गए।

नए महाविद्यालयों को अनुमति

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ के प्रावधानानुसार नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, २००३ के अधीन भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आयुष विभाग से विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा भेजे गये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए ०३ प्रस्ताव प्राप्त हुए। केन्द्रीय परिषद् ने संस्थाओं का निरीक्षण किया तथा इस परियोजना के अनुमोदन/निरनुमोदन हेतु आयुष विभाग को अनुशंसाये भेजी। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि के दौरान ०३ महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया तथा भारत सरकार को अनुशंसाये भेजी गयी।

क्रम संख्या	कालेज का नाम	परिदर्शन की तिथि
१.	सुफिया यूनानी मेडिकल कालेज एवं होस्पिटल, बारा, चकिया, बिहार	३०-३१.८.२०१०
२.	मोहमदिया यूनानी मेडिकल कालेज, नंदेड (एम. एस)	६-७.८.२०१०
३.	कालेज ऑफ इंडियन मेडिकल साईंसेस, VIII बिलासपुर शरीफ, पी. ओ. असमोली (यू. पी.)	२६-२७.८.२०१०

महाविद्यालयों का परिदर्शन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने अनुमति दी/अनुमति नहीं दी जाने का पत्र जारी करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा भेजने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि के दौरान निम्नलिखित यूनानी महाविद्यालयों का परिदर्शन आयोजित किया।

क्रम संख्या	कालेज का नाम	परिदर्शन की तिथि
१.	डॉ. अब्दुल हक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, ४०/२३, पार्क रोड, कुरनूल -५९८००९ (आन्ध्र प्रदेश)	२६-३०.३.२०११
२.	जुलिफ्कार हैदर यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पी.बी.नं.१२, नवलपुर, सीवान -८४९२२६ (बिहार)	२६-३०.३.२०११
३.	सल्फिया यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, एट एवं पोस्ट लहेरिया सराय, जिला दरभंगा - ८४६००९ (बिहार)	२६-३०.३.२०११
४.	निजामिया यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्राम ढूमरी, पो.आ. रसालपुर, वाया बुनियाद गंज, जिला गया - ८२३००२ (बिहार)	२६-३०.३.२०११
५.	मोहसिन ए-मिल्लत यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, महबूबिया चौक, बैजनाथ पारा, रायपुर -४६२००९ (छत्तीसगढ़)	२६-३०.३.२०११
६.	यूनानी चिकित्सा संकाय, जामिया हमदर्द (मानित विश्वविद्यालय), हमदर्द नगर, नई दिल्ली- ९९००६२	२६-३०.३.२०११
७.	यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल एशियन चिकित्सा विज्ञान संस्थान, भाभा अटोमिक अनुसन्धान केन्द्र के पास, हब्बक कासिंग जकुरा, श्रीनगर -९६०००६ (जम्मू एवं कश्मीर)	०६-१०.४.२०१०
८.	कश्मीर तिब्बिया महाविद्यालय, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, सैदा कादल, श्रीनगर -९६००९० (जम्मू एवं कश्मीर)	१२-१३.०४.२०१०
९.	टीपू सुल्तान यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पोस्ट बाक्स नं.६६, गवर्नरमेन्ट मिल्क डेयरी के सामने, मिल्लत नगर, रिंग रोड, गुलबर्गा -५८५९०४ (कर्नाटक)	२६-३०.३.२०११

१०.	लुकमान यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बी.एल. करादी कैम्पस, १२, नौबाग, बीजापुर -५८६१०९ (कर्नाटक)	२६-३०.३.२०११
११.	एच.एम.एस.यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सदाशिव नगर, दूसरा स्टेज, रिंग रोड, पो.आ. मरालूर, दुमकुर -५७२१०५ (कर्नाटक)	२६-३०.३.२०११
१२.	मौहम्मदिया तिब्बिया महाविद्यालय एवं अस्सायेर अस्पताल, पी.बी. नं.१२८, मनसूरा, मालेगांव, जिला नाशिक -४२३२०३ (महाराष्ट्र)	२६-३०.३.२०११
१३.	जुलैखाबाई वली मोह.यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, के.बी. हिदायथुल्ला रोड, न्यू मोदीखाना कैम्प, आजम कैम्पस, एंगलो उर्दू स्कूल कैम्पस, पुणे - ४११००९ (महाराष्ट्र)	२६-३०.३.२०११
१४.	अहमद गरीब यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, अकल कुओं, जिला नन्दुरबार -४२५४९५ (महाराष्ट्र)	२६-३०.३.२०११
१५.	इकरा यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, जी.नं.२५/२, इकरा नगर, शिरसेली रोड, मोहदी शिवर, जलगांव - ४२५१३५ (महाराष्ट्र)	२६-३०.३.२०११
१६.	युनूस फजलानी मेडिकल महाविद्यालय एवं अल-फजलानी यूनानी अस्पताल, कुंजखेडा, कन्नाड, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	२६-३०.३.२०११
१७.	सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया महाविद्यालय एवं अस्पताल, निकट गणपति नाका, खण्डवा रोड, बुरहानपुर -४५०३३९ (मध्य प्रदेश)	२६-३०.३.२०११
१८.	अल-फारूक यूनानी तिब्बिया महाविद्यालय, १, दरगाह मैन रोड, खजराना, इन्दौर -४५२०९६ (मध्य प्रदेश)	२६-३०.३.२०११
१९.	एच.ए.एच. यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, देवास (मध्य प्रदेश)	२६-३०.३.२०११
२०.	हकीम अब्दुल हमीद यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, ३, ईदगाह रोड, देवास (मध्य प्रदेश)	१७.७.२०१०
२१.	राजपूताना यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, चार दरवाजा, खण्डर का रास्ता, जयपुर - ३०२००२ (राजस्थान)	२६-३०.३.२०११
२२.	अलीगढ़ यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं ए.सी.एन. अस्पताल, गुलमार्ग कम्पलैक्स, पुरानी चुंगी, अनूप शहर रोड, अलीगढ़ - २०२००२ (उत्तर प्रदेश)	२१-२२.५.२०१०
२३.	जामिया तिब्बिया देवबन्द, जी.टी. रोड, देवबन्द, जिला सहारनपुर -२४७५५४ (उत्तर प्रदेश)	२६-३०.३.२०११
२४.	इन्जे-सिना तिब्बिया महाविद्यालय एवं अस्पताल बीनापाड़ा, वाया सराय मीर, जिला आजमगढ़-२७६३०५ (उत्तर प्रदेश)	२६-३०.३.२०११
२५.	देवबन्द यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, नया बांस, निकट ततहेड़ी चुंगी, देवबन्द जिला सहारनपुर -२४७५५४ (उत्तर प्रदेश)	२६-३०.३.२०११

२६.	अल्लामा इकबाल यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, रुडकी चुंगी के पास, जी.टी. रोड, मुजफ्फरनगर -२५१००९ (उत्तर प्रदेश)	२६-३०.३.२०११
२७.	अलीगढ़ यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, अलीगढ़ (यू. पी.)	२६-३०.३.२०११
२८.	शम्मै गौसिया माईनोरिटी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, साहेड़ी, वाया नन्दगंज, जिला गाजीपुर -२३३००९ (उत्तर प्रदेश)	२६-३०.३.२०११
२९.	एराम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, कुर्सी रोड, गुदम्बा, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	२६-३०.३.२०११
३०.	कलकत्ता यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, ट/१, अब्दुल हलीम लेन, कोलकाता -७०००९६ (पश्चिम बंगाल)	२६-३०.३.२०११

सिद्ध

महाविद्यालयों का परिदर्शन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने धारा १३ ग के अधीन अपेक्षित वर्ष २०१०-११ के लिए अनुमति दी/अनुमति नहीं दी जाने का पत्र जारी करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा भेजने के लिए निम्नलिखित सिद्ध महाविद्यालयों का परिदर्शन आयोजित किया।

क्रम संख्या	कालेज का नाम	परिदर्शन की तिथि
१.	सान्थीगिरि सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, थिरुवनन्तापुरम केरल	२४-२५.३.२०११
२.	राजकीय सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, पलायमकोट्टई, त्रिस्नेलवेली-६२७००२ तमिलनाडु	२६-३०.३.२०११
३.	राजकीय सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, अरुमबक्कम, चेन्नई -६०१००६ तमिलनाडु	२६-३०.३.२०११
४.	अखिल थिरुविथम्कोर.सिद्ध वैद्य संगम सिद्ध मारुथ्या कल्लूरी एवं अस्पताल, मुन्चौरै कन्याकुमारी-६२६९७७ तमिलनाडु	२४-२५.३.२०११
५.	श्री साई राम सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केन्द्र, पूनथालम, तम्बारम, चेन्नई -६०००४४ तमिलनाडु	२४-२५.३.२०११
६.	वेलौमैलु सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीपेरुम्बूदूर, कांचीपुरम - ६०२९०५ तमिलनाडु	२४-२५.३.२०११
७.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, ताम्बरम चेन्नई - ६०००४७ तमिलनाडु	२६-३०.३.२०११
८.	आर.वी.एस. सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, २४२ बी, त्रिची रोड, मुलूर, कोयम्बटूर-६४९४०२ तमिलनाडु	२४-२५.३.२०११
९.	शिवराज सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय थुम्बाथुलिपट्टी, सिद्धर कोईल मैन रोड, सलेम- ६३६३०७ तमिलनाडु	२४-२५.३.२०११

भारत सरकार द्वारा १३(क) के अन्तर्गत स्थापना हेतु दो अनुमति प्राप्त सिद्ध महाविद्यालयों का भी परिदर्शन किया गया तथा अनुशंसाएं भारत सरकार को भेजी गईं।

विश्व सिद्ध दिवस मनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। विश्व सिद्ध दिवस घोषित करने हेतु यह प्रस्ताव राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणी के लिये अग्रेष्ट किया गया।

पंजीयन

वर्ष २०१०-११ के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति के ५७० चिकित्साभ्यासियों को जिनके नाम भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में शामिल हैं, को नामांकन प्रमाण-पत्र जारी किए गए।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १६७० की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता रखने वाले भारतीय चिकित्सा पद्धति के ३६ चिकित्साभ्यासियों को सीधा पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किए गए।

प्रशासन एवं वित्त

परिषद् के कार्यालय के लिए पदों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	पद का नाम	वर्ग	पदों की संख्या
१.	निबंधक एवं सचिव	क	०९
२.	सहायक निबंधक (आयुर्वेद)	क	०९
३.	सहायक निबंधक (यूनानी)	क	०९
४	सहायक निबंधक (सिद्ध)	क	०९
५.	सहायक सचिव (प्रशासन)	क	०९
६.	सहायक सचिव (पंजीयन)	क	०९
७.	कार्यालय अधीक्षक	ख	०९
८.	लेखाकार	ख	०९
९.	हिन्दी अनुवादक	ग	०९
१०.	कनिष्ठ आशुलिपिक	ग	०३
११.	उच्च श्रेणी लिपिक	ग	०४
१२.	निम्न श्रेणी लिपिक	ग	११
१३.	डुल्केरींग आपरेटर	ग	०९
१४.	दफतरी	घ	०२
१५.	चपरासी	घ	०६
		कुल	३६

केन्द्रीय परिषद् एक लघु संगठन है जिसमें ३६ कर्मचारी हैं तथापि भारत सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए किए गए आरक्षण को सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया गया है।

- | | |
|---------------------------|-----|
| १. अनुसूचित जाति | ४: |
| २. अनुसूचित जन जाति | तीन |
| ३. अन्य पिछड़ा वर्ग | दो |
| ४. शारीरिक रूप से विकलांग | दो |

उपरोक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेद तथा यूनानी का कार्य देखने के लिये अनुबन्ध के आधार पर समेकित वेतन पर आयुर्वेद तथा यूनानी के विशेषज्ञों को नियुक्त करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय परिषद् के विधिक एवं जनसूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना देने के कार्य करने हेतु परामर्श दाता रखेगा। इसके अतिरिक्त कार्यालय की सुचारू व्यवस्था हेतु सेवानिवृत सहायकों की नियुक्ति की गई।

बजट के स्रोत

वर्ष २०१०-२०११ के लिए परिषद् द्वारा अनुमोदित तथा सरकार द्वारा जारी/स्वीकृत बजट प्राक्कलन एवं संशोधित प्राक्कलन निम्न प्रकार है :-

	गैर-योजना (₹० लाखों में)	योजना (₹० लाखों में)
१. बजट प्राक्कलन २०१०-२०११ (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	४८०.००	४०.००
२. बजट प्राक्कलन २०१०-२०११ (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत)	२००.००	३४.००
३. संशोधित प्राक्कलन २०१०-२०११ (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	४६६.००	४२.००
४. संशोधित प्राक्कलन २०१०-२०११ (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत)	४६६.००	३४.००
५. अनुदान सहायता २०१०-२०११ (मंत्रालय द्वारा दिया गया धन)	३३०.००	३४.००

भविष्य के कार्यक्रम

- भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों में शिक्षा के न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित।
- कार्यशालाएं आयोजित कर आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध के स्नातकीय और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए विद्यमान पाठ्यविधि तथा पाठ्यविग्रहण की पुनरीक्षा जारी रखना।
- भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका को तैयार करना और उसका रख-रखाव।
- भारतीय चिकित्सा पद्धति के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार गोष्ठी आयोजित करना।
- इन पद्धतियों में स्नातकीय और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करने वाले आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध महाविद्यालयों का परिदर्शन।
- भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों को नामांकन प्रमाण-पत्र जारी करना।
- भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों का सीधा पंजीयन करना जहाँ राज्य पंजीयन बोर्ड/परिषद् विद्यमान नहीं हैं।

- d. नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, २००३ के प्रावधानानुसार आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध महाविद्यालयों की स्थापना, अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना।
- e. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग तथा १३ क के अन्तर्गत यथा अपेक्षित भारत सरकार को अनुमति हेतु अनुशंसा भेजना।
10. वैब साईट का अद्यतनीकरण।

(*****)

कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व,
नई दिल्ली

ए.एम.जी.-IV / एस.ए.आर. / सी.सी.आई.एम-/10-2010-11/1077

दिनांक :—07-10-2011

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित की प्रति श्री पी. आर. शर्मा, रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, ६१-६५, संस्थागत क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-११००५८ को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। प्रमाणित वार्षिक लेखे हिन्दी की १ प्रति इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेजों की दो प्रतियां, उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

हस्ता. /—
उपनिदेशक
(ए.एम.जी-IV)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् का ३१ मार्च, २०११ को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत
के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की अलग लेखा रिपोर्ट

1. हमने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (परिषद्) की 31 मार्च, 2011 के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र का तथा समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखों/प्राप्तियों और भुगतान लेखों का परीक्षण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कार्यशक्तियाँ, सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अन्तर्गत लेखा-परीक्षण किया। वित्तीय विवरण परिषद् प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। लेखा-परीक्षण के आधार पर वित्तीय-विवरण पर अपने विचार व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है।
2. इस पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, उत्तम लेखा प्रक्रिया सहित अनुपालन, लेखा मानकों प्रतिमानकों को प्रकट करना आदि के संबंध में लेखों के निरूपण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का समावेश है। कानून, नियमों विनियमों (उपयुक्तता एवं नियमितता) अनुपालन के और कार्यक्षमता-सह-नि-पादन पहलुओं इत्यादि के अनुपालन के सम्बन्ध में वित्तीय सव्यवहार पर लेखा प्रेक्षणों, यदि कोई हो तो, को नियंत्रण रिपोर्ट/ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा-रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट करना है।
3. हमने अपना लेखा-परीक्षण सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के अनुरूप किया है। इन मानकों में आवश्यक है कि हम अपनी योजना बनाएं और उचित आश्वासन प्राप्त कर लेखा परीक्षा करें कि वित्तीय विवरण वस्तुपरक यथार्थ विवरण हो/लेखा परीक्षण में परीक्षण जॉच आधार पर, राशि की पुष्टि का प्रमाण तथा वित्तीय विवरण में प्रकट करना आदि शामिल हैं। लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा-सिद्धान्तों का मूल्यांकन तथा प्रबन्धकों द्वारा तैयार किया गया वित्तीय विवरण के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना शामिल है। हमें विश्वास है कि हमने लेखा-परीक्षा में अपने विचारों के लिए उचित आधार प्रस्तुत किया है।
4. अपने लेखा-परीक्षा के आधार पर हमने रिपोर्ट किया है कि:

- i. हमें मांगी गई सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण, जो कि लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे, प्राप्त हुए।

ii. इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखों/प्राप्तियों एवं भुगतान लेखों को वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत फार्मेट में तैयार किया गया है।

iii. हमारे विचार में लेखों की जॉच करने पर पाया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा लेखा की दोहरी प्रविष्टि पद्धति पर लेखों की पुस्तकों का सही तरीके से रख-रखाव किया गया है।

iv. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

क. तुलन पत्र

क.१ निवेश

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या मि. स. 5(88)/2006— ई. पी. आर. दिनांक 14.08.2008 में दिए गए पैटर्न के अनुसार निवेशन नहीं किया गया। सामान्य भविष्य निधि के रु0 92.85 लाख का सम्पूर्ण निवेशन बैंक में सावधि जमा में किया गया है।

ख. आय और व्यय लेखा

ख.१ व्यय की अतिरंजना

योजना के अन्तर्गत अनुदान का अव्ययित शेष, जिसकी राशि रु0 1.30 लाख है, को आय और व्यय लेखा में व्यय के रूप में दर्शाया गया है। इसके परिणाम-स्वरूप रु. 1.30 लाख की व्यय की अतिरंजना तथा समग्र निधि की न्यूनोक्ति हुई है।

ग. सहायता अनुदान

परिषद् को सहायता अनुदान के रूप में रु. 364 लाख (योजना: रु. 34 लाख एवं गैर योजना : रु. 330 लाख) प्राप्त हुए। परिषद् के पास पिछले वर्ष का अनुदान योजना का अव्ययित शेष भी है जिसकी राशि रु. 3.57 लाख है। इसने रु. 671.53 लाख (योजना: रु. 36.26 लाख तथा गैर योजना: रु. 635.25 लाख) का उपयोग किया। गैर योजना शीर्ष के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय परिषद् द्वारा उसके अपने स्रोतों के माध्यम से किया गया।

- घ. **प्रबन्धन पत्र** : वे कमियां जिन्हे लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया उन्हें उपचारी/ दोष निवारक कार्रवाई हेतु पृथक—पृथक रूप से जारी किये गये प्रबन्धन-पत्र के माध्यम से निदेशक, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के ध्यान में लाया गया।
- v. हमारे प्रेक्षण के अनुसार कार्यवाही के पैरा में हमने रिपोर्ट किया है कि इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र और आय और व्यय लेखा/प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा, लेखा पुस्तकों के समझौते के अनुसार हैं।
- vi. हमारे विचार में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कथित वित्तीय विवरण लेखों पर लेखाकरण नीति एवं टिप्पणी के साथ दिया गया है एवं इस लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उल्लेखित उपर्युक्त महत्वपूर्ण सामग्री तथा अनुलग्नक में उल्लेखित अन्य सामग्री सत्य एवं स्वच्छ दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है।
- क. तुलन पत्र में दिए गए 31 मार्च, 2011 तक के क्रियाकलाप भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद से सम्बन्धित है।
- ख. यह समाप्ति वर्ष की तिथि तक की आय और व्यय लेखा के अधिशेष से सम्बन्धित है।

भारत के सी. एवं ए.जी. की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 03.10.2011

**लेखा परीक्षा महानिदेशक
केन्द्रीय राजस्व**

अनुलग्नक ।

1. **आंतरिक लेखा-परीक्षा पद्धति की उपयुक्तता**
परिषद् की आंतरिक लेखा-परीक्षा वर्ष 2008-09 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गयी।
2. **आंतरिक नियंत्रण पद्धति की उपयुक्तता**
परिषद् की आंतरिक नियंत्रण पद्धति उपयुक्त है।
3. **स्थाई परिसम्पत्तियों की भौतिक सत्यापन पद्धति**
वर्ष 2010-11 तक स्थाई परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया।
4. **सामान सूची की भौतिक सत्यापन पद्धति**
वर्ष 2010-11 तक लेखन सामग्री तथा उपभोज्य वस्तुओं इत्यादि का भौतिक सत्यापन किया गया।
5. **सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता**
लेखों के अनुसार 31.03.2011 के अनुसार छः माह तक सांविधिक देय राशि की उत्कृष्ट देयताएं नहीं थी।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली
गैर-लाभ संगठन का वर्ष 2010-11 के लिए वित्तीय विवरण
विषय सूची

शीर्ष	पृष्ठ संख्या
तुलन पत्र	35
आय एवं व्यय का लेखा	36
वित्तीय विवरण की अनुसूचियाँ	37 से 59
प्राप्तियाँ एवं भुगतान का लेखा गैर - योजना, सामान्य भविष्य निधि तथा नई पेशन पद्धति	60 से 63

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
(गैर-लाभ-संगठन)
31 मार्च, 2011 को यथा तुलनपत्र

दायित्व	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
	गैर-योजना	गैर-योजना	योजना
समग्र निधि	1 (गै.यो) व 9 (यो.)	63,11,707 8,92,49,915	1,29,445 7,44,12,654
सार्वजनिक जमा खाता	2	17,500	17,500
चालू दायित्व	3	1,10,05,325	96,36,297
सामान्य भविष्य निधि एवं नई पेशन पद्धति टायर-1	4	10,65,84,447	9,59,33,603
कुल			3,02,442
परिसम्पत्तियाँ			
स्थायी परिसम्पत्ति (अनुसूची 8)		21,43,395	25,44,786
चालू परिसम्पत्ति,	5 (गै.यो.)	24,000	19,960
बकाया शुल्क	6 (गै.यो.)	28,34,792	39,23,792
सामान्य भविष्य निधि एवं नई पेशन पद्धति टायर-1		1,10,05,325	96,36,297
डाक टिकटे	7 (गै.यो.)	20,552	5,772
अन्त शेष			
बैंक में नकद (मुख्य खाता)		1,82,931	13,94,355
बैंक में नकद (सार्वजनिक जमा खाता)	10 (गै.यो.)	8,92,49,915	7,44,12,654
सार्वजनिक जमा खाता पर प्रोद्भूत ब्याज		11,23,537	39,96,747
कुल		10,65,84,447	9,59,33,603
लेखाओं एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों पर टिप्पणियाँ	20		3,02,442

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

(गैर-लाभ-संगठन)

31 मार्च, 2011 तक का आय एवं व्यय का लेखा

(राशि रु.)

	अनुसूची	गैर-योजना	चालू वर्ष	गैर-योजना	गत वर्ष
आय					
अनुदान सहायता	3,30,00,000	34,00,000			
शुल्क	1,84,77,978			1,84,00,000	39,00,000
अन्य प्राप्तियाँ	2,30,882			4,59,77,882	
सार्वजनिक जमा खाता पर प्रोद्भूत ब्याज	11,23,537			2,74,435	
सार्वजनिक जमा खाता से स्थानान्तरित	95,00,000			39,96,747	
कुल क	6,23,32,397	34,00,000		60,00,000	
व्यय				7,46,49,064	39,00,000
स्थापना व्यय	1,44,44,470			1,35,04,142	
प्रशासनिक व्यय	1,70,95,024			1,62,57,576	1,45,625
सेवा-निवृत्ति हितलाभ	26,65,160			45,09,372	
यात्रा व्यय	1,25,08,673	36,26,947		1,02,64,224	34,01,611
अवमूल्यन (अनुसूची 8)	12,58,934	19,320		4,87,426	49,851
लोटाये जाने यार्य अव्ययित शेष	1,30,187				3,57,134
कुल ख	4,79,72,261	37,76,454		4,50,22,740	39,54,221
व्यय पर आय की अधिकता के कारण शेष (क-ख)	1,43,60,136	-3,76,454		2,96,26,324	54,221
सार्वजनिक जमा खाता में स्थानान्तरित	1,57,00,000			2,40,00,000	
समग्र निधि में स्थानान्तरित	9,64,502			6,77,128	
अव्यास राहत निधि में स्थानान्तरित	1,11,875			1,60,250	
बचत/धारा के कारण					
समग्र निधि में ले जाया गया शेष	-14,51,739	-3,76,454		54,66,074	54,221
लेखाओं और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों पर टिप्पणियाँ	20				

ह0/-
(डा. पौराज शामा)
रजिस्ट्रार

अनुसूची -1

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

समग्र निधि -गैर योजना

यथा 31.3.2011 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

समग्र निधि	चालू वर्ष	गत वर्ष
गत तुलन पत्र के अनुसार	1,18,67,152	93,20,626
जोड़ें : आय से व्यय की अधिकता	-14,51,739	54,66,074
	1,04,15,413	1,47,86,700
कटौती :- समायोजित प्रोद्भूत ब्याज	39,96,747	
कटौती :- अपूर्जीगत परिसम्पत्ति	1,06,959	-41,03,706
कुल		63,11,707

ह0/-
(डा. पौराज शामा)
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
सार्वजनिक जमा खाता
यथा 31.3.2011 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
सार्वजनिक जमा खाता		
गत लेखे के अनुसार	7,44,12,654	5,24,43,278
जोड़े : वर्ष के दौरान	1,57,00,000	2,40,00,000
	9,01,12,654	7,64,43,278
	-95,00,000	60,00,000
	8,06,12,654	7,04,43,278
	+86,37,261	39,69,376
	8,92,49,915	7,44,12,654
कुल	8,92,49,915	7,44,12,654

रु0/-
(डा. पैमराज शार्मा)
राजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
चालू दायित्व का ब्यौरा - गैर योजना
31.03.2011 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
चालू दायित्व		
प्रतिशुम्भि	17,500	17,500
गत लेखे के अनुसार		
जोड़े : वर्ष के दौरान		
	17,500	17,500
		17,500
घटाएँ : वर्ष के दौरान समायोजित		
कुल	17,500	17,500

रु0/-
(डा. पैमराज शार्मा)
राजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
सामान्य भविष्य निधि एवं नई पेंशन पद्धति टायर-1
यथा 31.03.2011 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
सामान्य भविष्य निधि		
परिपक्व सावधि जमा के रूप में निवेश	92,85,261	90,85,261
बैंक में नकद	15,77,241	4,91,001
प्रोटम्हूत ब्याज	14,220	1,08,76,722
नई पेंशन पद्धति टायर-1		
बैंक में नकद		1,28,603
कुल	1,10,05,325	96,36,297

ह0/-
(डा. पैमराज शर्मा)
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
गैर-योजना के अधीन चालू परिसम्पत्ति
यथा 31.03.2011 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
पूर्व अधिगम		
गत लेखे के अनुसार	19,200	12,300
जोड़े : वर्ष के दौरान	36,000	33,000
	55,200	45,300
घटाएँ : वर्ष के दौरान की गई कटौती	31,200	26,100
कुल	24,000	19,200

ह0/-
(डा. पैमराज शर्मा)
रजिस्ट्रार

मारतीय चिकित्सा के न्द्रीय परिषद
गैर-योजना के अधीन बकाया शुल्क का ब्यौरा
31.03.2011 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची (राशि रु.)

शीर्ष		चालू वर्ष	गत वर्ष
बकाया शुल्क		39,23,792	37,13,792
गत लेखे के अनुसार		5,90,000	11,10,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान		45,13,792	48,23,792
घटाएँ : बकाया के विरुद्ध वसूली		16,79,000	28,34,792
			9,00,000
			39,23,792
कुल		28,34,792	39,23,792

हो/-
(डा. पैमराज शामा)
रजिस्ट्रार

अनुसूची -7

मारतीय चिकित्सा के न्द्रीय परिषद
डाक टिकटों का ब्यौरा-गैर-योजना
31.03.2011 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची (राशि रु.)

शीर्ष		चालू वर्ष	गत वर्ष
डाक टिकटे		5,772	13,499
गत लेखे के अनुसार		65,375	52,500
जोड़ें : वर्ष के दौरान		71,147	65,999
घटाएँ : वर्ष के दौरान समायोजित		50,595	60,227
			5,772
कुल		20,552	5,772

हो/-
(डा. पैमराज शामा)
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
अनावर्तक परिसम्पत्ति (2010-11) (गेर योजना)

(राशि रु.)

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	अवमूल्यन की दर	01.04.2010 को आद्य शेष	जमा	विमोचन	31.03.2011 को अन्त शेष	अवमूल्यन	लिखित मूल्य
1	फर्नीचर एवं उपकरण	15%	5,86,929	--		5,86,929	97,492	4,89,437
2	कार्यालय उपकरण	15%, 25%, 60%	17,00,016	9,64,502	*1,06,959	25,57,559	10,98,320	14,59,239
3	वातानुकूलित उपकरण	25%	2,44,459	--		2,44,459	61,115	1,83,344
4	पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	15%	13,382	--		13,382	2,007	11,375
5	*वर्ष 2009-10 हेतु विमोचन का परिशोधन							
	कुल			25,44,786	9,64,502	1,06,959	34,02,329	12,58,934
								21,43,395

44

हो/-
(डा. पैमराज शर्मा)
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
अनावर्तक परिसम्पत्तियां (2010-11) (योजना)

(राशि रु.)

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	अवमूल्यन की दर	01.04.2010 को आद्य शेष	जमा	विमोचन	31.03.2011 को अन्त शेष	अवमूल्यन	लिखित मूल्य
1	फर्नीचर एवं उपकरण	15%	85,117	--		85,117	13,176	71,941
2	कार्यालय उपकरण	15%	1,64,869	--	*1,53,677	11,192	1,270	9,922
3	पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	15%	32,496	--		32,496	4,874	27,622
4	*वर्ष 2009-10 हेतु विमोचन का परिशोधन							
	कुल			2,82,482	--	1,53,677	1,28,805	19,320
								1,09,485

45

हो/-
(डा. पैमराज शर्मा)
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

समग्र निधि – योजना

31.03.2011 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष		चालू वर्ष	गत वर्ष
समग्र निधि			
गत तुलनपत्र के अनुसार अव्ययित अनुदान सहित घटाएँ : आय पर व्यय की अधिकता	3,02,442 -3,76,454 -74,012 -1,53,677 -2,27,689 +3,57,134	5,43,538 54,221 4,89,317 1,91,245	2,98,072
घटाएँ : अपूर्जीगत परिसम्पत्ति			
जोड़े:- अव्ययित अनुदान 09–10			
कुल	2,98,072	1,29,445	1,29,445

हो/-
(जा. पैमराज शर्मा)
रेजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

सार्वजनिक जमा खाता

31.03.2011 तक के निवेश को व्योरा

क्रम संख्या	टी.डी.आर.संख्या	प्राप्ति संख्या	खाता संख्या	परिपक्वता की तिथि	राशि
1.	टी.डी.ए./60	721728	31597001537	29-07-2012 को परिपक्व	99,00,000
2.	टी.डी.ए./60	721729	31597003613	29-07-2012 को परिपक्व	99,00,000
3.	टी.डी.ए./60	721730	31597004991	17-10-2013 को परिपक्व	99,00,000
4.	टी.डी.ए./60	721731	31597005383	17-10-2013 को परिपक्व	99,00,000
5.	टी.डी.ए./60	721756	31597007599	11-11-2013 को परिपक्व	99,00,000
6.	टी.डी.ए./60	721757	31597008311	11-11-2013 को परिपक्व	99,00,000
7.	टी.डी.ए./60	721806	31691292697	23-12-2013 को परिपक्व	99,00,000
8.	टी.डी.ए./60	721809	31695423480	06-10-2012 को परिपक्व	99,00,000
				कुल	7,92,00,000

कुल होक में शेष
कुल हो/-
(जा. पैमराज शर्मा)
रेजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
वर्ष के दौरान वसूलने योग्य शुल्क गैर-योजना
31.03.2011 तक के आय एवं व्यय लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची
(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
वर्ष के दौरान वसूलने योग्य शुल्क	77,40,000	71,10,000
नए महाविद्यालयों से प्राप्त शुल्क	42,00,000	31,50,000
प्रवेश क्षमता / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से प्राप्त शुल्क	60,00,000	3,48,00,000
नामांकन से प्राप्त शुल्क	2,84,550	2,69,001
पंजीयन से प्राप्त शुल्क	31,000	37,000
सूचना के अधिकार से प्राप्त शुल्क	22,428	11,881
धारा 13 (ग) के अधीन प्राप्त शुल्क	2,00,000	6,00,000
कुल	1,84,77,978	4,59,77,882

हो/-
 (डा. पैमराज शर्मा)
 रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
प्राप्त वार्तविक शुल्क गैर-योजना
31.03.2011 तक के प्राप्तियाँ एवं मुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची
(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
बकाया से प्राप्त शुल्क	16,79,000	9,00,000
वर्ष के दौरान प्राप्त शुल्क	71,50,000	60,00,000
नए महाविद्यालयों से प्राप्त शुल्क	42,00,000	31,50,000
प्रवेश क्षमता / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से प्राप्त शुल्क	60,00,000	3,48,00,000
नामांकन से प्राप्त शुल्क	2,84,550	2,69,001
पंजीयन से प्राप्त शुल्क	31,000	37,000
सूचना के अधिकार से प्राप्त शुल्क	22,428	11,881
विद्यमान महाविद्यालयों से प्राप्त शुल्क (धारा 13 (ग))	2,00,000	6,00,000
कुल	1,95,66,978	4,57,67,882

हो/-
 (डा. पैमराज शर्मा)
 रजिस्ट्रार

मारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

अन्य प्राप्तियां गैर-योजना

31.03.2011 तक के प्राप्तियां एवं मुगातान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
बचत खाता से प्राप्त ब्याज पुस्तकालय के लिए पुस्तकें रददी की बिकी कर्मचारियों से कें.स.स्वा.यो. के लिए प्राप्त अंशदान नीलामी मुद्रा	1,80,132 — 25,125 25,625 —	1,79,492 13,918 — 27,525 53,500
कुल	2,30,882	2,74,435

हो/-
(डा. पैमराज शर्मा)
रजिस्ट्रार

मारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

स्थापना व्यय गैर-योजना

31.03.2011 तक के प्राप्तियां एवं मुगातान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
सचिव और कर्मचारी वर्ग का वेतन चिकित्साचार्यास बन्दी भत्ता सहित मंहगाई भत्ता मकान किराया भत्ता वाहन भत्ता धूलाई भत्ता बानस अवकाश यात्रा रियायत समयोपरि भत्ता मानदेय कें.स.स्वा.या. में अंशदान शिक्षा शुल्क चिकित्सा प्रतिपूर्ति सामान्य भविष्य निधि में स्थानान्तरित व्याज मजदूरी समेकित वेतन 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग का बकाया ए.पी.एस. टायर-1 में अंशदान निवाह भत्ता विशेष भत्ता	41,78,370 17,96,392 12,13,854 6,94,096 3,240 79,442 73,904 63,449 89,500 4,95,979 2,23,270 2,80,301 76,970 18,78,561 31,97,502 — 32,892 39,248 27,500	49,67,427 12,85,824 14,51,334 6,89,624 3,360 89,804 96,902 37,468 1,11,783 71,738 79,836 7,74,113 5,877 12,41,152 8,13,932 17,54,939 29,029
कुल	1,44,44,470	1,35,04,142

हो/-
(डा. पैमराज शर्मा)
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

प्रशासनिक व्यय गैर-योजना

31.03.2011 तक के प्राप्तियाँ एवं मुगलान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची (राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
लेखन सामग्री	12,30,798	1,004,642
दूरभाष	2,12,987	2,02,732
डाक एवं ताप	3,61,402	2,83,739
डाक टिकटे	50,595	60,227
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	8,613	15,082
यूनिफार्म	6,670	3,979
लेखा परीक्षा शुल्क	—	69,235
मुद्रण	9,45,894	2,04,931
विधि सम्बन्धी	22,92,484	13,45,117
प्रकाशन	95,85,240	1,06,59,340
बैंक प्रभार	6,04,591	5,33,419
रखरखाव	7,02,951	4,09,898
विविध	3,37,518	1,85,509
वेतन के अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक में जमा टी.डी.एस.	1,12,907	5,74,517
सूचना प्रोधोगिकी प्रभार	1,49,251	67,673
कोसियर	1,24,844	18,643
टेक्स्ट्सी प्रभार	53,244	6,11,276
विज्ञापन	2,36,370	—
आतिथ्यगृह हेतु किराया	69,433	—
आतिथ्यगृह हेतु विभिन्न व्यय	—	—
कुल	1,70,95,024	1,62,57,576

रु0/-
(डा. पै.मराज शर्मा)
राजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

सेवा निवृत्ति लाभ

31.03.2011 तक के प्राप्तियाँ एवं मुगलान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची (राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
मासिक पेंशन	16,34,402	8,84,658
उपदान	3,19,699	14,18,216
संराशीकृत पेंशन	2,83,146	13,44,636
छट्टी नकदीकरण	4,27,913	7,54,723
6वें वेतन आयोग का बकाया	—	1,071,39
कुल	26,65,160	45,09,372

रु0/-
(डा. पै.मराज शर्मा)
राजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
स्थायी परिसम्पत्तियाँ गैर-योजना

31.03.2011 तक के प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे की रूपीत आंशिक अनुसूची (राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
फर्नीचर एवं उपस्कर	—	3,18,573
कार्यालय उपकरण	9,64,502	3,56,955
ऐआर कॉलिंग यंत्र	—	1,600
कुल	9,64,502	6,77,128

हॉ /—
(डा. पौमराज शर्मा)
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
यात्रा व्यय गैर-योजना

31.03.2011 तक के प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे की रूपीत आंशिक अनुसूची (राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
अध्यक्ष	5,04,968	2,62,950
उपाध्यक्ष	6,06,272	3,66,410
सचिव/स्टाफ	1,61,519	1,95,894
कार्यकारिणी समिति	14,55,600	4,93,323
उप-समिति	17,76,614	9,28,572
परिषद के सदस्य	25,06,923	22,43,214
आयुर्वेद का परिदर्शन	38,92,151	45,15,091
यूनानी का परिदर्शन	8,08,634	8,39,757
सिद्ध का परिदर्शन	29,270	62,251
विभागीय पदान्वत समिति / चयन समिति	1,07,383	2,23,003
वाहन प्रभार	5,220	5,589
राष्ट्रीय कार्यशाला (आयुर्वेद)	—	1,28,170
स्थायी यात्रा भत्ता	7,500	
यूनानी समिति	2,06,958	
स्नातकोत्तर विनियम	4,01,677	
सेवा निवृत्ति पर यात्रा भत्ता	37,984	
कुल	1,25,08,673	1,02,64,224

हॉ /—
(डा. पौमराज शर्मा)
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

योजना व्यय योजना

31.03.2011 तक के प्राप्तियां एवं मुग्धतान लेखे की रूपीत आंशिक अनुसूची (राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
विविध व्यय	1,48,167	--
पारिश्रमिक	--	68,000
रजिस्ट्रार राज्य बोर्ड	41,943	5,23,417
ब्रिज कोर्स समिति	2,920	1,40,389
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम समिति	34,33,917	9,22,322
कोर समिति	--	14,93,909
उपसमिति	--	2,53,574
कुल	36,26,947	34,01,611

हॉ/-
(डा. पैमराज शार्मा)
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
लेखाओं एवं महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों पर विषयां

- 1 खाते ऐतिहासिक लागत परम्परा तथा प्रोटोटाइप आधार पर तैयार किए गए हैं।
- 2 केन्द्र सरकार से प्राप्त योजना निधि को पृथक निधि के रूप में दर्शाया गया है।
- 3 सार्वजनिक जमा खाता भविष्य के खर्चों के लिए प्राप्त शुल्क से बनाई गई है।
- 4 जोखिम तत्वों से बचने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में लम्बे समय के लिए सावधि जमा में निवेश किया गया है।
- 5 राजस्व एवं पूँजीगत व्यय गेर-योजना एवं योजना अनुदान तथा शुल्क से प्राप्त राशि से किये गये हैं।

समग्र निधि :-

- 6 यह व्यय से आय की अधिकता पर संचित शेष को दर्शाता है जो मुख्यतः शुल्क तथा नियत परिसम्पत्ति के निवल मूल्य से प्राप्त है। परिषद पर आज तक के तुलन पत्र पर पेशन संशोधनकरण तथा उपदान इत्यादि हेतु कोई दायित्व नहीं है।
- 7 वर्ष 2010-11 हेतु नियत परिसम्पत्ति पर अवमूल्यन अनुसूची -8 गेर योजना तथा योजना के अनुसार प्रशासन विभाग द्वारा तैयार किया गया है तथा यह रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित है। इसे ही वार्षिक लेखा में दर्शाया गया है।
- 8 अंको को निकटतम रूपए में पूर्णांकित कर दिया गया है।
9. नई पेशन पद्धति टायर-1, सामान्य भविष्य निधि तथा सार्वजनिक जमा लेखा के लेखे अलग से हैं तथा मुख्य तुलन-पत्र में गेर-योजना के अधीन दर्शाएं गए हैं।
10. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के लेखे सकम्प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हैं।
11. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के लेखे सकम्प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हैं।

हॉ/-
(डा. पैमराज शार्मा)
रजिस्ट्रार

भारतीय विकित्सा केन्द्रीय परिषद
सामान्य भविष्य निधि अंशदान का ब्योरा
31.03.2011 तक के प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे को रूपित आंशिक अनुसूची (राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
गत लेखे के अनुसार	95,76,262 24,72,225 6,63,534 38,593 76,970	79,00,092 27,44,160 5,97,339 53,658 5,877
जोड़े : अंशदान व अधिमाँ की वसूली सावधि जमा पर ब्याज बचत खाता पर ब्याज गेर योजना से खानान्तरित ब्याज	1,28,27,584	1,13,01,126
	14,12,862 5,38,000	17,07,041 --
	-19,50,862	17,823
कुल	1,08,76,722	95,76,262

घटाएः :

- i) अन्तिम अदायगी तथा निकासी
- ii) कर्मचारियों को अग्रिम

हॉ/-
(डा. पैमराज शर्मा)
रजिस्ट्रार

भारतीय विकित्सा केन्द्रीय परिषद
सामान्य भविष्य निधि
31.03.2011 को यथा निवेश का ब्योरा

क्रम संख्या	टी.डी.आर.संख्या	प्राप्ति संख्या	खाता संख्या	परिपक्वता की तिथि	राशि
1	टी.डी.ए./41	154826	0120102811205 - 10502353101	19.10.2011 को परिपक्व	3,00,000
2	टी.डी.ए./48	065013	0120102811206 - 10502353112	27.10.2011 को परिपक्व	9,00,000
3	टी.डी.ए./61	065993	0120102811209 - 10502353134	21.01.2012 को परिपक्व	3,00,000
4	टी.डी.ए./61	066301	0120102811210 - 10502353145	09.04.2012 को परिपक्व	5,00,000
5	बैंक ऑफ इण्डिया, झण्डेवालान, नई दिल्ली			विशेष जमा योजना	2,85,261
6	टी.डी.सी.एस/004	0431821	30024806985	01.12.2011 को परिपक्व	10,00,000
7	टी.डी.ए./60	643909	30727318651	29.03.2012 को परिपक्व	10,00,000
8	टी.डी.ए./60	721791	31671806380	09.12.2013 को परिपक्व	50,00,000
				कुल	92,85,261

हॉ/-
(डा. पैमराज शर्मा)
रजिस्ट्रार

मारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

नई पेंशन पद्धति टायर-1

31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

(राशि रु.)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष
आद्य शेष			भुगतान नहीं	शून्य	0
बैंक में नकद	60,035	1,332			
कर्मचारियों से प्राप्त मासिक अंशदान	32,892	29,029			
परिषद द्वारा महीने का बराबर का अंशदान	32,892	29,029	अन्त शेष		
बचत खाता पर प्राप्त ब्याज	2,784	645	बैंक में नकद	1,28,603	60,035
कुल	1,28,603	60,035	कुल	1,28,603	60,035

62

रु0/-
(डा. पैमराज शर्मा)
रजिस्ट्रार

मारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
सार्वजनिक जमा खाता

31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा



(राशि रु.)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष
आद्य शेष		भा.चि.के.प. को स्थानांतरित	95,00,000
बैंक में नकद	36,55,545		
सावधि जमा परिपक्व	8,47,57,109	सावधि जमा पर निवेश	9,32,00,000
भा.चि.के.प. से स्थानांतरित	1,57,00,000		
बचत खाता पर प्राप्त ब्याज	1,89,046	अन्त शेष	1,00,49,915
सावधि जमा से प्राप्त ब्याज	84,48,215	बैंक में नकद	
कुल	11,27,49,915	कुल	11,27,49,915

63

रु0/-
(डा. पैमराज शर्मा)
रजिस्ट्रार

Central Council of Indian Medicine



CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI
ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2010-2011

The Central Council of Indian Medicine is a Statutory Body constituted under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 vide Gazette Notification Extraordinary Part-II Section 3 (ii) dated 10.8.71. The Government of India vide issuing amendments in the said Gazette Notification has changed the members from time to time. The main objects of the Central Council are as under: -

- i) To prescribe the minimum standards of education in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha and Unani Tib.
- ii) To advise Central Government in matters relating to recognition (inclusion/withdrawal) of medical qualifications in/from Second Schedule to Indian Medicine Central Council Act, 1970.
- iii) To maintain a Central Register of Indian Medicine and revise the Register from time to time.
- iv) To prescribe Standards of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics to be observed by the practitioners.
- v) To consider and furnish the recommendations to Government of India on the proposal received from various institutions through Government of India for establishment of new colleges of Indian Systems of Medicine, to increase intake capacity in Under-graduate, Post-graduate course and to start new Post-graduate course or additional subjects. ✓

Since its establishment in 1971, the Central Council has been framing and implementing various regulations including the Curricula and Syllabi in Indian Systems of Medicine viz. Ayurveda, Siddha and Unani Tib at Under-graduate and Post-graduate level.

Central Council has already prescribed following courses at Under-graduate and Post-graduate level. Minimum standards of education and syllabus for different courses for Ayurveda, Siddha and Unani Tib have also been laid down by the Council:

Ayurved

Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery)
Ayurved Vachaspati (MD- Ayurved)

5-1/2 years

3 years

Ayurved Dhanwantari (MS-Ayurved) Diploma in Ayurved (speciality)	3 years 2 years
---	--------------------

Unani Tibb

Kamil-e-Tib-o-Jarhat (Bachelor of Unani Medicine & Surgery) Mahir-e-Tib (MD-Unani) Mahir-e-Jarhat (MS-Unani) Diploma in Unani (speciality)	5-1/2 years 3 years 3 years 2 years
---	--

Siddha

Siddha Maruthuva Arignar (Bachelor of Siddha Medicine & Surgery) Siddha Maruthuva Perarignar (MD-Siddha)	5-1/2 years 3 years
---	------------------------

Now, all the Colleges of Indian Systems of Medicine are affiliated to various Universities in the Country. These Colleges are following the minimum standards of education and Curricula and Syllabus laid down by the Central Council of Indian Medicine.

In pursuance of amendment of 13C in Indian Medicine Central Council Act, 1970 by Government of India, the Central Council in exercise of the powers conferred by Section 36 of Indian Medicine Central Council Act. 1970 (48 of 1970), with the previous sanction of the Central Government, prescribed "Indian Medicine Central Council, (Permission to existing Medical Colleges) Regulations, 2006." As per provisions of these Regulations, Colleges established before 07.11.2003 were directed to apply to the Govt. of India by 7.11.2006 for permission as required under Section 13C of IMCC Act 1970. Applications of the colleges were received by the Govt. of India and were forwarded to CCIM to furnish the recommendations to Govt. of India in accordance to Section 13 C, thereafter, CCIM furnished the recommendations to Government of India for granting or not granting permission for particular year. The Government of India after considering the recommendations of the CCIM and after giving the opportunity of hearing simultaneously, granted/not granted the permission for particular year. .

Minimum Standard of Ayurved College & Hospital have been reviewed by CCIM.

CCIM adopted the following policy forwarded by Government of India, Department of Ayush, vide letter No.: R-11011/5/2009-EP dated 23/8/2010 while considering the visitation report of the colleges of Ayurveda, Unani & Siddha

visited for the year 2010-11 to recommend/not to recommend to Government of India for permission of Department of AYUSH, New Delhi.

S. No	Parameter	Criteria as per approval of Hon'ble HFM			
1.	Teaching Staff (80%)	UG Seats	Ayurveda	Siddha	Unani
		Upto 50	28	20	24
		51-60	35	22	24
		61-80	40	32	24
		81-100	46	40	24
		Postgraduate Course:-			
		One Professor/Reader and one Lecturer in concerned subject in addition to requirement of teacher for U.G. course. Student-teacher ratio for deciding PG intake capacity in case of Professor should be 1:3, in case of Reader 1:2 and in case of Lecture 1:1.			
2.	No. of beds in Teaching Hospital	Minimum Requirement: For Ayurved and Siddha colleges- 100 beds up to intake capacity of 50 students and for 51 to 100 intake capacity, the student –bed ratio should be 1:2. For Unani Colleges- 50 beds up to intake capacity of 50 students and for 51 to 100 intake capacity, the student-bed ratio should be 1:1. For Ayurveda, Siddha and Unani PG institution: Minimum 150 beds. Up to 150 Beds, 10 clinical PG seats can be allowed. For seats beyond 10 PG, the student-bed ratio in 1:5 is required in addition to the requirement of beds for UG seats in 1:2 ratio for Ayurveda and Siddha and in 1:1 ratio for Unani.			
3.	OPD	Average OPD attendance should be minimum 100 patients per day up to 50 seats and from 51-100 seats in 1:2 student-bed ratio.			
4.	IPD	For UG- Minimum 40% bed occupancy should be maintained. For PG- Minimum 50% bed occupancy should be maintained.			

It was proposed by Government of India that CCIM may restart the Integrated course at Under-graduate level in some specific Institutions. But CCIM observed that IMCC Act, 1970 does not permit the CCIM for the same.

Revamping of website of the Council was made from time to time 'and the latest information in all respect was updated.

CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

Preparation and maintenance of Central Register of Indian Medicine is one of the main objects of the Central Council. As per provisions of the IMCC Act, 1970, Central Council is maintaining a Central Register in the prescribed manner, which contains the details information of practitioners who are enrolled on any State Register of Indian Medicine and who possess any of the recognized medical qualifications included in the Schedules to the Indian Medicine Central Council Act, 1970. The maintenance of Central Register of Indian Medicine and updating of the same is a continuous process.

Central Register of Indian Medicine has been displayed on website, therefore, the practitioners can verify their names in Central Register of Indian Medicine.

During the year 2010-11, Central Register of the following States for the period mentioned against their names were notified in the Gazette of India Part III, Section IV:-

S.No.	Name of State	Period
1.	Andhra Pradesh	1.4.2006-31.12.2007
2.	Gujarat	1.1.2007-31.3.2009
3.	Orissa	1.4.2007-31.3.2009
4.	Delhi	1.4.2004-31.3.2009
5.	Bihar	1.4.2007-31.3.2009
6.	Kerala	From 1963 to 1975

ADMINISTRATIVE REPORT Composition of the Central Council of Indian Medicine

The following are the members of the present Central Council as on 31st March 2011:-

AYURVEDA

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Vaidya Raghunandan Sharma | 4. Vaidya Ved Prakash Tyagi |
| 2. Dr. Jayaprakash Narayan | 5. Dr. Niranjan Singh Tyagi |
| 3. Dr. P.K.Jain | 6. Dr. Ramanathan Devraj Iyer |

7. Dr. Banwari Lal Gaur
8. Dr. R.R.Dwivedi
9. Dr. SS Savarikar
10. Prof.VK Joshi
11. Dr. SK Sharma
12. Dr. D.N. Singh
13. Dr. Marri Vaman Redy
14. Dr. Gajendra Bharali
15. Dr. I.M.Jha
16. Dr. Alakh Narayan Singh
17. Dr. Om Prakash Vashisth
18. Dr. Sukhdevsingh Vansia
19. Dr. Bimla Chaudhary
20. Dr. Ashok Kumar Sharma
21. Dr. Roop Lal Sharma
22. Dr. K.Chandershekara Ballal
23. Dr. K.Anilkumar
24. Dr. Mukesh Walia
25. Dr. Satish Dutt Garg
26. Dr. Ranvir Singh Parihar
27. Prof.Kulwant Singh
28. Dr. Rajesh Shukla
29. Dr. Gyan Kumar Ahuja
30. Dr. Ashutosh Kulkarni
31. Dr. Suresh Bholeswar Katre
32. Dr. CG Kolte

UNANI

1. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah
2. Dr. Mohd Khalid Siddiqui
3. Dr. Rashidullah Khan
4. Prof. (Dr.) Saud Ali Khan
5. Dr. M.A. Jafri
6. Dr. Mohd. Akhthar Masood Siddiqui
7. Dr. Qumruzzama
8. Dr. Abu Bakar Khan
9. Dr. Bashir Ahmed
10. Prof. S. Ziauddin

33. Dr.Sudhakar Punalikrao Mohite
34. Dr. B.K.Jaya Singh
35. Vaidya Jagjeet Singh
36. Dr. KG Chandrappa
37. Dr. Suresh Chandra Gupta
38. Dr. Kamlesh Kumar Verma
39. Dr. Anand Vardhan Dwivedi
40. Dr. Hari Ram Bhadaria
41. Dr. S. Madhavan
42. Dr. R.Veeracholan
43. Dr. VV Chhikara
44. Dr. K.C Sharma
45. Dr. S.N.Parchure
46. Vaidya Deodatta S.Bhadlikar
47. Dr. Manoj Kumar Dubey
48. Dr. Shiv Swaroop Sharma
49. Dr. Vanitha Muralikumar
50. Dr. (Mrs.)Pooja Bhardwaj
51. Dr. Swapna Kumar Bhunia
52. Dr. M.Mohan Alva
53. Dr. MM Jumle
54. Dr. Yuvraj Kumar Tyagi
55. Dr. Batuk Shankar Joshi
56. Dr. V. R. Sheshadri
57. Dr. MR Vasudevan Nampoothri
58. Dr. P.Ram Manohar

SIDDHA

1. Dr.V.Stanley Jones
2. Dr.V.Arunachalam
3. Dr.S.Bhoopathi Raj

COMMITTEES

As per Section 9(1) of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Central Council has the following main three Committees, namely:-

Ayurveda Committee
Siddha Committee
Unani Committee

The above Committees consist of members elected/nominated under clause (a), (b) and (c) of Sub-section (1) of Section 3 of the IMCC Act, 1970 respectively.

President is elected by the CCIM as provided in sub-section 2 of Section 3 of the IMCC Act, 1970.

The following are the office bearers of CCIM as on 31.03.2011:-

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. President | Vaidya Raghunandan Sharma |
| 2. Vice-President (Ayurved) | Dr. Jayaprakash Narayan |
| 3. Vice-President (Unani) | Prof. Hakim Syed Khaleefathullah |
| 4. Vice-President (Siddha) | Dr. V.Stanley Jones |

EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee is constituted in accordance with Clause 5 of the Central Council of Indian Medicine (General) Regulations, 1976 to discharge the functions of the Central Council of Indian Medicine within the framework of the Act and the rules and regulations made there under in accordance with the general policy and principles laid down by the Central Council. The Executive Committee consists the members of all these systems of Medicine i.e. Ayurveda, Unani & Siddha.

The following are the Office bearers of the Executive Committee as on 31.03.2011:-

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Vaidya Raghunandan Sharma | Chairman |
| 2. Dr. Jayaprakash Narayan | Member (Ex-Officio) |
| 3. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah | Member (Ex-Officio) |
| 4. Dr. V Stanley Jones | Member(Ex-Officio) |

5. Dr. Pramod Kumar Jain	Member
6 Vaidya Ved Prakash Tyagi	Member
7 Dr. Ramanathan Devraj Iyer	Member
8. Dr.V.Arunachalam	Member
9. Dr.N.S. Tyagi	Member
10. Dr. Mohammed Khalid Siddiqui	Member
11. Dr. Rashidullah Khan	Member

MEETINGS OF THE COUNCIL AND ITS COMMITTEES

During the year 2010-11, the following meetings were held:-

1. Meeting of Unani Committee held on	5-6.4.2010
2. Meeting of Screening Committee to screen the visitation report of Ayurved, colleges held on	8,9,10.4.2010
3. Meeting of Screening Committee to screen the visitation report of Unani colleges held on	8,9,10.4.2010
4. Meeting of Screening Committee to screen the visitation report of Ayurveda colleges held on	20,21-22.4.2010
5. Meeting of Screening Committee to screen the visitation report of Unani colleges held on	20,21-22.4.2010
6. Meeting of Screening Committee "to screen the visitation report of Siddha colleges" held on	23.4.2010
7. Meeting of Committee constituted by President, CCIM "to consider the procurement of the services of peon directly" held on	30.4.2010
8. Meeting of Screening Committee "to screen the visitation report of Ayurveda colleges" held on	13-14.5.2010
9. 2 nd Meeting of revival of 7 ½ years course at UG level in Ayurveda held on	15-16.5.2010
10. Meeting of 156 th Executive Committee held on	17-18.5.2010

11. Meeting of Screening Committee to screen the visitation report of Unani colleges held on	26-27.5.2010
12. 157 th Meeting of Executive Committee held on	28.5.2010
13. Meeting of Screening Committee to screen the visitation report of Ay. colleges held on	2-3.6.2010
14. Meeting of Screening Committee to screen the visitation report of Unani colleges held on	3.6.2010
15. Meeting of Screening Committee to screen the visitation report of Ayurved colleges held on	7.6.2010
16. Meeting of Screening Committee to screen the visitation report of Unani colleges held on	8.6.2010
17. Meeting of Sub-Committee to examine the reply of Shri BKB Raju held on	18.6.2010
18. Meeting of 158 th Executive Committee held on	28.6.2010
19. Meeting of Sub-Committee to interview of the RTI Consultant held on	28.6.2010
20. Meeting of Sub-Committee to interview of the Legal Consultant held on	28.6.2010
21. Meeting of Ayurveda Committee held on	29.6.2010
22. Meeting of Education Committee (Unani) held on	29.6.2010
23. Meeting of Unani Committee held on	29.6.2010
24. Meeting of Sub-Committee for Interview of Siddha Expert held on	29.6.2010
25. 46 th meeting of Central Council of Indian Medicine held on	30.6.2010
26. Meeting of Sub-Committee to visit the Guest House held on	6.7.2010
27. Meeting of Sub-Committee to Central Advisory Board on Education held on	7.7.2010

28.	Meeting of Sub-Committee to discuss PG diploma Ayurveda held on	8.7.2010	41.	Meeting of Experts to finalize the frame of PG diploma course in the specialties of Radiology, Anesthesia & Rognidan held on	19-20.8.10
29.	Meeting to Sub-Committee to draft the norms and regulations of Ayurveda held on	12.7.2010	42.	Meeting of Experts to finalize the frame of PG diploma courses in the specialties of Ayurved Siddhant Darshan,, Ayurved Samhita, Dravyaguna, Rognidan, Karna Nasa Kantha Shiroroga Vigyana, Netra,Roga Vigyanam, Mukma Danta, Samanya Shalya Tantra, Kshara Karma Anushastrakarma Roga held on	21,22-23.9.2010
30.	Meeting to discuss the matter with President, CCIM held on	15.7.2010	43.	Meeting of Sub-Committee (Purchase) held on	26.8.2010
31.	Meeting of consideration of proposed specialties of PG course held on	27.7.2010	44.	Meeting of Vice-Presidents to interview the candidates for Ayurved Experts and Assistants (Retired)	8.9.2010
32.	Meeting of Official work of Unani held on	29-30.7.2010	45.	Meeting of Experts to finalize the frame of PG diploma courses in the specialties of Research Methodology, Parmacognosy Prasuti & Striog held on	28,29-30.9.2010
33.	Meeting of Experts to finalize the syllabus of PG Preliminary examination of PG course of Ayurveda held on	8-9.9.2010	46.	Meeting of Accreditation Committee	7.10.2010
34.	Meeting of Experts to finalize the frame of PG diploma courses in the specialties of Kshar Sutra, Prasuti & Striog held on	9-10.8.2010	47.	160 th Meeting of Executive Committee	20.10.2010
35.	Meeting of Screening Committee to screen the documents submitted by the college held on	9.8.2010	48.	Meeting of Screening Committee held on	26.10.2010
36.	Meeting of Experts to finalize the frame of PG diploma course in the specialties of Kaya chikitsa, Manas Roga, Panchkarma, Prasuti & Stri Rog, Kaumarbhritya, Sangyaharan, Chaya & Vikiran Vigyan held on	16-17.9.2010	49.	Meeting of Sub-Committee to examine the Bills of Western Services held on	3.11.2010
37.	Meeting of Sub-Committee to examine the clarification submitted by the Secretary held on	17.8.2010	50.	Meeting of the Sub-Committee to examine the matters of false experience/certificates held on	3.11.2010
38.	159 th Meeting of the Screening Committee to screen the documents submitted by the college held on	17.8.2010	51.	Meeting of Sub-Committee on Clinical Establishment Bill held on	9-10.11.2010
39.	Adjourned meeting of Executive Committee	18.8.2010	52.	Meeting of Sub-Committee to make guidelines for use of Modern Medicine in Unani held on	23.11.2010
40.	Meeting of Sub-Committee to examine the matter of services of Group D	19.8.2010	53.	161 th Meeting of Executive Committee held on	24.11.2010

54.	Meeting of Ayurveda Committee held on	24.11.2010
55.	Meeting of Unani Committee held on	24.11.2010
56.	Meeting of Siddha Committee held on	24.11.2010
57.	Meeting of Central Council of Indian Medicine held on	25.11.2010
58.	Meeting of Sub-Committee to examine clarification submitted by the Secretary in various court cases held on	3.1.2011
59.	Meeting of Sub-Committee constituted to examine the transfer of one Ayurved college in Punjab held on	3.1.2011
60.	Meeting of Sub-Committee (Ayurveda) to review and finalize the syllabus held on	13-14.1.2011
61.	Meeting to consider the remuneration and facilities held on	24.1.2011
62.	162 th Meeting of Executive Committee held on	31.1.2011
63.	Meeting to make the provision of PG Diploma (in Ayurveda) course held on	7.2.2011
64.	Meeting for consideration of the recognition / Inclusion of PG diploma course of Ayurveda	8.2.2011
65.	Meeting to prepare the list of visitors and visitation programme of Ayurved held on	3 & 4.3.2011
66.	Meeting to prepare the list of visitors and visitation programme of Unani held on	3.3.2011
67.	Meeting to prepare the list of visitors and visitation programme of Ayurved held on	9 & 10.3.2011
68.	Meeting to prepare the list of visitors and visitation programme of Siddha held on	9.3.2011
69.	Meeting to prepare the list of visitors and visitation programme of Unani held on	11.3.2011

70.	Meeting of the Sub-Committee to examine the matters of false experience/certificates held on	23-24.3.2011
71.	Meeting to prepare the list of visitors and visitation programme held on	23.3.2011

AYURVEDA

The salient features of the recommendations are as under:-

Ayurved Committee agreed to review the medium of instruction as under:-

- Sanskrit, Hindi or English. Further, it was also decided to obtain the feedback from teachers, students and colleges.
- Ayurved Committee reviewed the U.G. and P.G. Regulations. Reviewed Syllabus of U.G. & P.G. course have been finalized by Core Committee.
- Regarding the celebration of World Ayurved Day, modalities of strategy to celebrate the same were decided. The proposal to declare the World Ayurveda Day was sent to the Government of India and forwarded the reply received from the State Governments along with justification.

RECOGNITION OF MEDICAL QUALIFICATION

In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government after consulting the Central Council of Indian Medicine recognized/include the following medical qualifications of Ayurveda in the Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 during the year 2010-2011:-

Name of University / Board or Medical Institute	Recognized Medical Qualification	Abbreviation for Registration	Remarks
1	2	3	4
1. Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University Aurangabad	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	BAMS	From 1995 to 2005
	Ayurved Vachespati Doctor of Medicine (Ayurvedic)	MD (Ayurveda)	From 1995 to 2008
2.98(C) Amrita Vishwa Vidyapeetham University Coimbatore	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	BAMS	From 2010 onwards

In addition to above, the Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), after consulting the Central Council of Indian Medicine amended the Second Schedule to IMCC Act, 1970 inserting years against the various medical qualifications included in the Second Schedule to IMCC Act, 1970, Part I relating to Ayurved awarded by various Institutions state-wise vide Gazette notification S.No. 2971(E) dated, the 16th December, 2010.

PERMISSION TO NEW COLLEGES

As per the provisions of Section 13 A of the IMCC Act, 1970, the Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Studies or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College Regulations, 2003, 15 proposals for establishment of Ayurved colleges, 08 proposals for Increase Intake Capacity and 30 proposals for starting New PG Course from various Colleges were received from Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, Department of AYUSH. The Central Council inspected the institutions and made recommendations for approval and disapproval of the scheme to the Department of AYUSH.

During the reporting periods Seven(07) proposals to establish the new college, Six(06) to start new PG Course were visited under section 13A.

New Proposal

S. No	Name of the college
1.	Shiv Gomti Jan Kalyan Samiti Raisen, MP
2.	Dr. D.P. Singh Samiti Seva Sansthan Shahjahanpur, UP
3.	Nirogdham Janakalyan Seva Sansthan Aklera Dist. Jhalawar, Rajasthan
4.	MNS Medical & Educational Society, Bikaner, Rajasthan
5.	Shri Dhaneshwari Manav Mandal Aurangabad (Smt. Shantdevi Vedprakesh Patil Ayurved College, Hatta
6.	Shri Prabha Dev Hem Kamdhenu Girvihar Trust Dhariwal Ayurved College, Vagaldhara, Gujarat
7.	Shri Labdhivikram Raj Arogyyadham Sansthan, Pararnagar, Durg, Chhattisgarh

PG Course

S. No	Name of the college
1.	DY Patil College of Ayurved & Research Institute, Narul, Navi Mumbai, Maharashtra
2.	Loknete Rajarambapu Patil Ayurved College Islampur, Maharashtra
3.	SDM College of Ayurveda, Hassan, Karnataka
4.	Maharashtra Arogya Mandal's Sumati Bhai Shah Ayurved Mahavidyalaya, Hadapsar, Pune, Maharashtra
5.	Yashwant Ayurved Mahavidyalaya, Kodoli, Maharashtra
6.	Chhatrapati Sahu Maharaj Shikshan Sansthan Ayurved Mahavidyalaya, Aurangabad, Maharashtra

VISITATION OF COLLEGES

Central Council of Indian Medicine conducted the visitation of all Ayurveda colleges to furnish the recommendations to Govt. of India for issuing letter of permission/ not permission for the year 2010-11.

S. No	Name of the college	Date of visitation
1.	Vaghdevi Ayurved Medical College, Warangal	28-29.3.2011
2.	SV Ayurved College, Tirupati	28-29.3.2011
3.	Shree Vageshwari Ayurved Medical College, Karimnagar	28-29.3.2011
4.	Swamy Raghwendracharya Tridandi Ayurved Mahavidyalaya, Gaya	28-29.3.2011
5.	Nitishwar Ayurvedic Medical College & Hospital, Muzaffarpur	28-29.3.2011
6.	Dayanand Ayurved College & Hospital, Siwan	28-29.3.2011
7.	Chhattisgarh Ayurved Medical College, Rajnandgaon, Chhattisgarh	28-29.3.2011
8.	Rajiv Lochan Ayurved Chikitsa Mahavidyalaya, Durg	28-29.3.2011
9.	Ayurved & Unani Tibbia College New Delhi	28-29.3.2011
10.	Bharteeya Sanskrit Prabodhini Gomantak Ayurved Mahavidyalaya & Research Centre, South Goa	28-29.3.2011
11.	Parul Institute of Ayurved, Limda, Vadodara	28-29.3.2011
12.	Shri Baba Mastnath Ayurved College, Asthal Bohar, Rohtak	28-29.3.2011
13.	Shri Maru Singh Memorial Mahila Ayurved Degree College, Sonepat	28-29.3.2011
14.	Gaur Brahman Ayurved College & Hospital, Distt.Rohtak, Haryana	28-29.3.2011
15.	Chaudhary Devilal College of Ayurveda, Jagadhari	28-29.3.2011
16.	Jammu Institute of Ayurved & Research, Betlab Jammu Tawi	28-29.3.2011
17.	Surya Mukhi Dinesh Ayurved College & Hospital, Booty, Ranchi	28-29.3.2011
18.	Seth Murarlal Rasiwasia Ayurved College & Hospital, Charkhi Dadri	28-29.3.2011
19.	Shri Dhanwantry Ayurved College & Hospital, Chandigarh	28-29.3.2011
20.	JS Ayurved Mahavidyalaya, Nadiad	28-29.3.2011
21.	ALN Rao Memorial Ayurved Mahavidyalaya, Koppa	28-29.3.2011
22.	NK Jabashetty Siddharudh Math Ayurved Medical College, Bidar	28-29.3.2011
23.	Ashwini Educational Association's Ayurved College, Davangere	28-29.3.2011
24.	SS Ayurvedic Medical College, Haveri, Karnataka	28-29.3.2011

25.	Bapuji Ayurvedic Medical College, Shimoga	28-29.3.2011
26.	Bapuji Ayurvedic College, Challakere	28-29.3.2011
27.	TMAE Society's Ayurved Medical College, Hospet	28-29.3.2011
28.	TMAE Society's Ayurved College, Shimoga	28-29.3.2011
29.	Amrutha Ayurved Medical College, Distt.Chitradurga	28-29.3.2011
30.	Shri Vijay Mahanthesh Ayurvedic Medical College, Ilkal,	28-29.3.2011
31.	SDM College of Ayurveda, Hassan	28-29.3.2011
32.	KVG Ayurved Medical College & Hospital, Sulliya	28-29.3.2011
33.	Shri Kalabhaveshwara Swami Ayurved College, Bangalore	28-29.3.2011
34.	Indian Institute of Ayurvedic Medicine & Research, Bangalore	28-29.3.2011
35.	Alva's Ayurvedic College Moodbidri, Dakshin Kannada	28-29.3.2011
36.	Shri Basaveshwar Vidya Vardhak Sangha Ayurved College, Bagalkot	28-29.3.2011
37.	Shri Jagadguru Gavisiddheshwar Sansthan, Koppal	28-29.3.2011
38.	Gramin Ayurved Medical College, Terdal	28-29.3.2011
39.	Shri Shivayogeshwar Rural Ayurvedic Medical College, Inchal	28-29.3.2011
40.	Shri Hingulambika Education Society Ayurved College, Gulbarga	28-29.3.2011
41.	Rajiv Gandhi Education Society Ayurvedic College, Ron	28-29.3.2011
42.	Dhanwantari Ayurved College & Hospital, Siddhapur	28-29.3.2011
43.	Rama Krishna Ayurved College, Bagalkot	28-29.3.2011
44.	Karnataka Ayurved College, Mangalore	28-29.3.2011
45.	Shushrutha Ayurved College, Bagalkot	28-29.3.2011
46.	Zakariya Ayurved College, Gulbarga	
47.	Sri Sri College of Ayurvedic Sciences & Research, Bangalore	28-29.3.2011
48.	CB Guttal Ayurved Medical College, Dharwad	28-29.3.2011
49.	Atreya Government Ayurved College, Bangalore	28-29.3.2011
50.	Sri Siddharameshwar Ayurved Medical College & Hospital, Bidar	28-29.3.2011
51.	Ashwin Ayurved College, Tumkur	28-29.3.2011
52.	Dhanwantri Ayurved Medical College, Hospital & Research Centre, Nipani	28-29.3.2011

53.	Acharya Desh Bhushan Ayurved Medical College, Bedkhal, Belgaum	28-29.3.2011
54.	Shri Siddivinayak Rural Ayurvedic Medical College, Belgaum	28-29.3.2011
55.	Smt.Rajeshwari Karpurnath Memorial Ayurved Medical College, Bijapur	28-29.3.2011
56.	PN Panicker Sauhruda Ayurved Medical College, Kasaragod	28-29.3.2011
57.	Santhigiri Ayurved College, Palakkad	28-29.3.2011
58.	Vishnu Ayurved College, Shoranur, Palakkad	28-29.3.2011
59.	VPS Varier Ayurved College, Edarikode	28-29.3.2011
60.	Mannam Ayurved Medical Collge, Pandalam	28-29.3.2011
61.	PNMM Bharteeyasastra Vidyapeeth Ayurved College, Shoranur	28-29.3.2011
62.	Ahalia Ayurvedic Medical College, Kozhipara, Palakkad, Kerala	28-29.3.2011
63.	Pankaj Kasthuri Ayurved College, Thiruvananthapuram	28-29.3.2011
64.	Parasianikkadavu Ayurved College, Kannur	28-29.3.2011
65.	Amrita Ayurved Medical College, Kollam	28-29.3.2011
66.	Pt.Shivashakti Sharma Ayurved Mahavidyalaya, Ratlam	28-29.3.2011
67.	Ajeevan Swasthya Samvardhan Ayurved Mahavidyalaya, Satna	28-29.3.2011
68.	Rani Dhullaiya Ayurved College & Hospital, Bhopal	28-29.3.2011
69.	Veenavadini Ayurved College & Hospital, Bhopal	28-29.3.2011
70.	Om Ayurved College, Betul	
71.	Bhanwarlal Nahata Smriti, Mandsaur, MP	28-29.3.2011
72.	Bharti Vidyapeeth's College of Ayurved, Pune	28-29.3.2011
73.	Ayurved Mahavidyalaya, Rahuri Factory, Ahmednagar	28-29.3.2011
74.	Maharashtra Arogya Mandal's Sumati Bhai Shah Ayurved Mahavidyalaya, Pune	28-29.3.2011
75.	College of Ayurveda & Research Centre, Akurdi	28-29.3.2011
76.	Sangam Sevabhavi Trust's Ayurved Mahavidyalaya, Sangamner	28-29.3.2011
77.	Vasant Kusum Rural Yoga & Ayurved Sansthan Siddhakala Ayurved Mahavidyalaya, Sangamner	28-29.3.2011
78.	Bharatiya Sanskriti Darshan Trust Ayurved Mahavidyalaya, Wagholi	28-29.3.2011

79.	Yashwant Ayurved Mahavidyalaya, Kodolli	28-29.3.2011
80.	Hanuman Shikshan Prasarak Mandal's Ayurved Mahavidyalaya, Kolhapur	28-29.3.2011
81.	Ganga Education Society's Ayurved College, Kolhapur	28-29.3.2011
82.	Smt.KC Ajmera Ayurved Mahavidyalaya, Dhule	28-29.3.2011
83.	Dada Saheb Surupsingh Naik Ayurved Mahavidyalaya, Nangaon, Dhule	28-29.3.2011
84.	Kisan Dnyanoday Mandal Gudhe's Ayurved College, Chalisgaon, Jalgaon	10-11.2.2010
85.	Chaitanya Ayurved Mahavidyalaya, Jalgaon	28-29.3.2011
86.	Yerala Medical Trust & Ayurved College, Mumbai	28-29.3.2011
87.	Nalasopara Ayurved College, Vasai, Thane	28-29.3.2011
88.	Bhau Saheb Maulak Ayurved Mahavidyalaya, Nagpur	28-29.3.2011
89.	Cap.Kedari Redekar Ayurved College, Kolhapur	28-29.3.2011
90.	Gramin Ayurved Mahavidyalaya, Patur Gramin Ayurved Mahavidyalaya, Patur	28-29.3.2011
91.	Shri Saptashrungi Ayurved College, Nasik	28-29.3.2011
92.	Shri Gajanan Maharaj Sansthan Ayurved Mahavidyalaya, Pusad	28-29.3.2011
93.	Lt.Sunil Ramashringji Chunawala Ayurved College, Chikhli, Buldana	28-29.3.2011
94.	Mahadeorao Shivankar Ayurved College & Research Institute, Gondia	28-29.3.2011
95.	Padamshri Dr.Vitthalrao Vikhi Patil Foundation Ayurved College, Shevgaon,	28-29.3.2011
96.	Dr.DY Patil Pratishthan Ayurved College, Pimpri, Pune	28-29.3.2011
97.	Mahila Utkarsh Ayurved College, Hospital & Research Centre, Washim	28-29.3.2011
98.	Shree Gurukrupa Shikshan Prasarak Mandal, Rahul Vill.Kosara Road, Padoli, Chandrapur	28-29.3.2011
99.	Jupiter Ayurved College & Tarini Ayurved Hospital, Nagpur	28-29.3.2011
100.	Annasaheb Dange Ayurved College, Sangli	28-29.3.2011
101.	Manjara Ayurved College & Hospital, Latur	28-29.3.2011
102.	Ramrao Patil Ayurved Mahavidyalaya & Rughnayaka, Purna, Parbhani	28-29.3.2011
103.	Maharashtra Education Society, Ghanekhund-Lote, Tal.Khed, Distt. Ratnagiri	28-29.3.2011
104.	Ashvin Rural Ayurved College, Manchi Hill, Ashvi BK, Ahmednagar	28-29.3.2011

105.	Dhanwantri Ayurved College, Udgir, Latur	28-29.3.2011
106.	JJ Magdum Ayurved Medical College, Kolhapur	28-29.3.2011
107.	Rural Institute of Ayurved & Research Centre, Hospital, Mayani	28-29.3.2011
108.	Lokneta Rajarambapu Patil Ayurved College, Sangli	28-29.3.2011
109.	Mahatma Gandhi Ayurved College, Hospital & Research Centre, Wardha	28-29.3.2011
110.	Aditya Ayurved College, Distt. Beed	28-29.3.2011
111.	SSUD Ayurved Medical College & Hospital, Washim	
112.	Shri KR Pandav Ayurved College & Hospital, Nagpur	28-29.3.2011
113.	Padamshri Dr.DY Patil College of Ayurved & Research Institute, Narul, Navi Mumbai	28-29.3.2011
114.	Mayurbhanj Ayurved Mahavidyalaya, Distt.Mayurbhanj	28-29.3.2011
115.	Indira Gandhi Memorial Ayurved College & Hospital, Bhubaneshwar	28-29.3.2011
116.	Desh Bhagat Ayurvedic College & Hospital, Fatehgarh Sahib	28-29.3.2011
117.	Mai Bhago Ayurved College for Women, Muktsar	28-29.3.2011
118.	Guru Nanak Ayurved College & Hospital, Muktsar	28-29.3.2011
119.	Guru Nanak Ayurved College & Research Institute, Ludhiana	28-29.3.2011
120.	Shri Laxminarayan Ayurved College, Amritsar	28-29.3.2011
121.	Shaheed Kartar Singh Sarabha Ayurved College & Hospital, Ludhiana	28-29.3.2011
122.	Baba Ke Ayurved College & Hospital, Moga	28-29.3.2011
123.	Himalaya Ayurved Yoga Avam Prakritic Chikitsa Sansthan, Dehradun	28-29.3.2011
124.	Saint Sahara Ayurved Medical College & Hospital, Bhatinda	28-29.3.2011
125.	Shri Shirdi Sai Baba Ayurved College & Hospital, Mundiyagarh, Kishangarh, Renwal, Jaipur	28-29.3.2011
126.	Shri Bhanwar Lal Dugar Ayurved Vishwabharti, Sardar Shahar	28-29.3.2011
127.	JR Tatia's Shriganganagar College of Ayurvedic Sciences, Shriganganagar	28-29.3.2011
128.	Punjab Ayurved Medical College & Hospital, Shriganganagar	28-29.3.2011
129.	Shikshawati Ayurved Medical College, Pilani	28-29.3.2011

130.	Ayurved College, Coimbatore	28-29.3.2011
131.	Sri Sairam Ayurved College & Research Centre, Chennai	28-29.3.2011
132.	Shri Jayendra Saraswati Ayurved College, Naszarapet	28-29.3.2011
133.	Yagya Dutt Sharma Ayurved College, Khurza	28-29.3.2011
134.	Lal Bahadur Shastri Govt.Mahavidyalaya, Handia	
135.	Shri SG Minority Ayurved College, Gazipur	28-29.3.2011
136.	Aligarh Ayurved & Unani College & Hospital Aligarh	28-29.3.2011
137.	Ayujyoti Ayurvedic College and Hospital Jodhpuria, Sirsa	28-29.3.2011
138.	Bharat Ayurvedic Medical College, Muzaffarnagar	28-29.3.2011
139.	Dhanwantary Ayurved Medical College, Mathura	
140.	Uttaranchal Ayurved College, Dehradun	28-29.3.2011
141.	Patanjali Ayurved Medical College, Roorkee, Haridwar	28-29.3.2011
142.	Belley Sankarpur Rajiv Gandhi Memorial Ayurved College & Hospital, 24 Parganas (N) WB	28-29.3.2011

UNANI

The Salient features of the recommendations are as under: -

1. The Central Council agreed to make the following amendments in the Curriculum and Minimum Standards of Kamil-e-tib-e-Jarahat course.
 - (a). Student-bed-ratio will be 1:2 in place of 1:1.
 - (b). Minimum bed in Unani hospital will be 100 in place of 50.
2. UG & PG Regulations of Unani were reviewed.
3. Minimum Standard of Unani College & Hospital have been reviewed by CCIM.
4. Post-graduate qualification for the post of Principal will be desirable rather than essential.
5. Regarding the Celebration of World Unani Day modalities or strategy to celebrate the same were decided. The same were forwarded with justification to State Governments for their comments about declaring the World Unani Day. Thereafter, the same was forwarded to Government of India.

RECOGNITION OF MEDICAL QUALIFICATION

In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government after consulting the Central Council of Indian Medicine recognized/include the following medical qualification of Unani in the Second Schedule to the Indian Medical Central Council Act, 1970 during the year 2010-11:-

Name of University/ Board or Medical Institute	Recognized Medical Qualification	Abbreviation for Registration	Remarks
1	2	3	4
1.Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Kamil-e-tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine & Surgery)	BUMS	From 2009 onwards

In addition to above, the Government of India in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), after consulting the Central Council of Indian Medicine amended the Second Schedule to IMCC Act,1970 inserting years against the various medical qualifications included in the Second Schedule to IMCC Act,1970, Part II relating to Unani awarded by various Institutions state-wise.

PERMISSION TO NEW COLLEGES

As per provisions of the Establishment of new medical college, opening of new or higher course of studies or training and increase of admission capacity by a medical college Regulations, 2003, Three (03) proposals for starting new Unani Medical Colleges were received from Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, Department of AYUSH. The Central Council inspected the institutions and made recommendations for approval and disapproval of the scheme to the Department of AYUSH.

Three Colleges were visited during the reporting period and recommendations were sent to Govt. of India.

S. No	Name of the college	Date of visitation
1.	Sufia Unani Medical College & Hospital, Bara, Chakia, (Bihar)	30-31.8.2010
2.	Mohammedia Unani Medical College, Nanded (MS)	6-7.8.2010
3.	College of Indian Medical Sciences, Vill.Bilalpur Sharif, PO Asmoli (UP)	26-27.8.2010

VISITATION OF COLLEGES

Central Council of Indian Medicine conducted the visitation of following Unani Colleges to furnish the recommendations to Govt. of India for granting/not granting letter of permission during the reporting period.

S.N o	Name of the college	Date of visitation
1.	Dr. Abdul Haq Unani Medical College & Hospital,40/23, Park Road, KURNOOL (A.P.)	29-30.3.2011
2.	Zulfequar Haider Unani Medical College & Hospital, PB No.12, Nawalpur, SIWAN (Bihar)	29-30.3.2011
3.	Salfia Unani Medical College & Hospital, At & Post Laheriasarai, Distt. DARBHANGA	29-30.3.2011
4.	Nizamia Unani Medical College & Hospital, Vill. Dumri, P.O. Rasalpur, Via Buniyad Ganj, Distt. GAYA (Bihar)	29-30.3.2011
5.	Mohsin-e-Millat Unani Medical College, Mahboobiya Chowk,Bajnath-Para, RAIPUR (Chhattisgarh)	29-30.3.2011
6.	Faculty of Medicine (Unani), Jamia HAMDARD, (Deemed University), HAMDARD NAGAR, NEW DELHI	29-30.3.2011
7.	Institute of Asian Medical Sciences Unani Medical College & Hospital, Srinagar	9-10.04.2010
8.	Kashmir Tibbia College, Hospital & Research Centre, Saida Kadal, SRINAGAR(J & K)	12-13.04.2010
9.	Tipu Sultan Unani Medical College & Hospital,Post Box No.99, Opp. Govt. Milk Dairy, Millat Nagar, Ring Road, GULBARGA	29-30.3.2011
10.	Luqman Unani Medical College & Hospital, BL Karadi Campus, 12, Naubag, BIJAPUR	29-30.3.2011

11.	HMS Unani Medical College & Hospital, Sadashiv Nagar, IIInd Stage, Ring Road, P.O.Maralur, TUMKUR (Karnataka)	29-30.3.2011
12.	Mohammadia Tibbia College & Assayer Hospital, PB No. 128, Mansoora, MALEGAON, Distt. NASIK (MS)	29-30.3.2011
13.	Zuleikhabai Valy Md. Unani Medical College & Hospital, KB Hidayathulla Road, New Modikhana Camp, Azam Campus, Anglo Urdu School Campus, PUNE (MS)	29-30.3.2011
14.	Ahmed Gharib Unani Medical College, AKKALKUWA, Distt Nandurbar (MS)	29-30.3.2011
15.	Iqra Unani Medical College, Hospital & Research Centre, G. No. 25/2, Iqra Nagar, Shirsoli Road, Mohdi Shivar, JALGAON (MS)	29-30.3.2011
16.	Yunus Fazlani Medical College & Al-Fazlani Unani Hospital, Kunjkheda, Kannad, Aurangabad (Maharashtra) (established in 2009-10)	29-30.3.2011
17.	Saifia Hamidia Unani Tibbia College & Hospital, Near Ganapati Naka, Khandwa Road, BURHANPUR (M.P.)	29-30.3.2011
18.	Al-Farooque Unani Tibbia College, 1, Dargah Main Road, Khajrana, INDORE	29-30.3.2011
19.	HAH Unani Medical College, DEWAS (M.P.)	29-30.3.2011
20.	Hakim Abdul Hamid Unani Medical College, 3, Idgah Road, DEWAS (M.P.)	17.7.2010
21.	Rajputana Unani Medical College, Hospital & Research Centre, Char Darwaza, Khandar Ka Rasta, JAIPUR (Rajasthan)	29-30.3.2011
22.	Aligarh Unani Medical College & A.C.N. Hospital, Gulmarg Complex, Purani Chungi, Anoop Shahar Road, ALIGARH(UP)	21-22.5.2010
23.	Jamia Tibbia Deoband GT Road, Deoband, Distt. SAHARANPUR (UP)	29-30.3.2011
24.	Ibn-e-Sina Tibbia College & Hospital, Beenapara, Via Sarai Meer, Distt. AZAMGARH	29-30.3.2011
25.	Deoband Unani Medical College, Hospital & Research Centre, Naya Bans, Near Talheri Chungi, DEOBAND, Distt. SAHARANPUR(UP.)	29-30.3.2011
26.	Allama Iqbal Unani Medical College, Near Roorkee Chungi, GT Road, MUZAFFARNAGAR	29-30.3.2011
27.	Aligarh Unani Medical College, ALILGARH (U.P.)	29-30.3.2011

3.	Sham-e-Ghausia Minority Unani Medical College & Hospital, Saheri, Via- Nandganj, Distt. GHAZIPUR (U.P.)	29-30.3.2011
9.	Eram Unani Medical College & Hospital, Kursi Road, Gudamba, LUCKNOW (UP)	29-30.3.2011
10.	Calcutta Unani Medical College & Hospital, 8/1, Abdul Halim Lane, KOLKATA (W.B.)	29-30.3.2011

SIDDHA

VISITATION OF COLLEGES

Central Council of Indian Medicine conducted the visitation of following Siddha Colleges to furnish the recommendation to Govt. of India for issuing letter of permission/ not permission for the year 2010-11 as required under section 13 C.

S. No.	NAME OF THE COLLEGE	Date of visitation
1.	Santhigiri Siddha Medical College, THIRUVANATHAPURAM, Kerala.	24-25.3.2011
2.	Govt. Siddha Medical College, PALAYAMKOTTAI, Tirunelveli, Tamilnadu.	29-30.3.2011
3.	Govt. Siddha Medical College, Arumbakkam, CHENNAI Tamilnadu.	29-30.3.2011
4.	Akila Thiruvithamcore Siddha Vaidya Sangam Siddha Maruthuva Kalloory & Hospital, Munchirai, KANYAKUMARI Tamilnadu.	24-25.3.2011
5.	Sri Sai Ram Siddha Medical College & Research Centre, Poonthandalam, Tambaram, CHENNAI Tamilnadu.	24-25.3.2011
6.	Velumailu Siddha Medical College, Sriperumbudur, KANCHEEPURAM Tamilnadu.	24-25.3.2011
7.	National Institute of Siddha, Tambaram, CHENNAI, Tamil Nadu.	29-30.3.2011
8.	RVS Siddha Medical College, 242 B, Trichy Road, SULUR, Coimbatore, Tamil Nadu.	24-25.3.2011
9.	Sivaraj Siddha Medical College, Thumbathulipatty, Siddhar koil Main Road, SalemTamil Nadu.	24-25.3.2011

Two (02) Colleges permitted by Govt. of India for their establishment under Section 13 A were also visited during the reporting period & recommendations were sent to Govt. of India.

Regarding the Celebration of World Siddha Day modalities or strategy to celebrate the same were decided. The same were forwarded with justification to State Governments for their comment about declaring the World Siddha Day. Thereafter, the same has been forwarded to Government of India.

REGISTRATION

During the year 2010-11, Five hundred seventy (570) Enrolment Certificates were issued to practitioners of ISM on the basis of their names included in Central Register of Indian Medicine.

Thirty nine (39) Direct Registration were given to practitioners of Indian System of Medicine, possessing a recognized medical qualification included in the schedule to IMCC Act, 1970.

ADMINISTRATION AND FINANCE

The total numbers of posts for the office of the Council are as under:-

S.No.	Designation of the Post	Group	No. of Post
1.	Registrar-cum-Secretary	A	01
2.	Asstt. Registrar (Ay.)	A	01
3.	Asstt. Registrar (Unani)	A	01
4.	Asstt. Registrar (Siddha)	A	01
5.	Asstt. Secretary (Admn)	A	01
6.	Asstt. Registrar (Regn.)	B	01
7.	Office Superintendent	B	01
8.	Accountant	B	01
9.	Jr. Hindi Translator	C	01
10.	Jr. Stenographer	C	03
11.	U.D.C	C	04
12.	L.D.C.	C	11
13.	Duplicating Operator	C	01
14.	Daftary	D	02
15.	Peon	D	06

Total

The Central Council is a small organization having 36 employees. However, every care is being taken to ensure the reservation as per order of Government of India issued from time to time. The position of reservation for different categories is as under:-

1. Scheduled Caste	Six
2. Schedule Tribe	Three
3. Other Backward class	Two
4. Physically Handicapped	Two

BUDGETARY RESOURCES

The Council approved the Budget Estimate and Revised Estimate for the year 2010-2011 and sanctioned/ released by the Government are as under:-

	Non Plan (Rs. in lakh)	Plan (Rs. in lakh)
Budget Estimate 2010-2011 (Approved by the Council)	480.00	40.00
Budget Estimate 2010-2011 (Sanctioned by the Ministry)	200.00	34.00
Revised Estimate 2010-2011 (Approved by the Council)	496.00	42.00
Revised Estimates 2010-2011 (Sanctioned by the Ministry)	496.00	34.00
Grant-in-aid (Released by Ministry)	330.00	34.00

FUTURE PROGRAMMES

1. To ensure Minimum Standards of Education in Colleges of Indian Systems of Medicine.
2. To continue the review of the existing Curriculum and Syllabus of Graduate and Post-graduate courses of Ayurveda, Unani and Siddha organizing Workshops.
3. To prepare & maintain the Central Register of Indian Medicine.
4. To organize Seminars on various important topics of Indian Systems of Medicine.
5. Visitation of Ayurveda, Unani and Siddha colleges imparting education Graduate and Post-graduate courses in these systems.
6. To issue the Enrolment Certificate to the practitioners of Indian Systems of Medicine.
7. To issue Direct Registration Certificate to practitioners of Indian Systems of Medicine of those States where State Registration Board/Council do not exist.
8. To consider the application for establishing of new Ayurved, Siddha and Unani College, opening of new or higher course of study or training and increase of admission capacity by a medical college as per provisions of the "Establishment of New Medical College, Opening of New Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by Medical Colleges Regulations, 2003.
9. To furnish the recommendations to Govt. of India for permission required under Section 13 C and 13 A of IMCC Act, 1970.
10. Updation of Web Site.



OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT, CENTRAL REVENUES NEW DELHI – 110002

No.AMG-IV/SAR/C.C.I.M./10-2010-11/1077

Dated : 07/10/2011

Copy of the certified annual accounts alongwith Annual Account of the Audit Report thereon and the Audit Certificate forwarded to Shri P.R. Sharma, Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61- 65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 for necessary action. One copy of the certified Hindi Annual Account be forwarded to this office.

Two copies of documents submitted to Parliament, showing the dates when they were submitted to Parliament may be furnished to this office and the Comptroller General of Audit, India.

Sd/-
**Deputy Director of Audit
(AMG-IV)**

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Central Council of Indian Medicine (CCIM) for the year ended 31 March 2011

We have audited the attached Balance Sheet of Central Council of Indian Medicine (Council) as at 31 March 2011 and the Income & Expenditure Account / Receipt & Payment Account for the year ended on that under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. These financial statements are the responsibility of the Council's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the law, rules & regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports / Comptroller and Auditor General's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the accounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that :

I We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

II The Balance Sheet and Income & Expenditure Account / Receipt & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.

III In our opinion, proper books of accounts on double entry system of accounting have been maintained by the Council in so far as it appears from our examination of such books.

IV We further report that :

A. Balance Sheet

A.1 Investments

Investments had not been made as per the pattern prescribed by Ministry of Finance, vide notification No F. No. 5-88/2006-EPR dated 14.8.2008. The entire investment of Rs. 92.85 lakh of GPF has been made in fixed deposits with banks.

B. Income and Expenditure Account

B.1 Overstatement of expenditure

The unspent balance of grant under plan amounting to Rs. 1.30 lakh has been shown as expenditure in income and expenditure account. This has resulted in overstatement of expenditure and understatement of corpus fund by Rs. 1.30 lakh.

C. Grant-in-aid

The Council had received grant of Rs. 364 lakh (Plan Rs. 34 lakh & Non Plan Rs. 330 lakh). The council also had unspent balance of plan grant of previous year amounting to Rs. 3.57 lakh. It utilised Rs. 671.53 lakh (Plan Rs. 36.26 lakh and Non Plan: Rs 635.25 lakh). The excess expenditure under non plan head was met by the Council through its own resources.

D. Management Letter : Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Director, Central Council of Indian Medicine, through a management letter issued separately for remedial / corrective action.

- V. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account / Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- VI. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Central Council of Indian Medicine as at 31 March 2011; and
- b. In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Place : New Delhi
Date : 3/10/2011

Sd/-
Director General of Audit
Central Expenditure

Annexure I

1. Adequacy of internal audit system

The internal audit of the Council was conducted upto 2008-2009 by Ministry of Health and Family Welfare.

2. Adequacy of internal control system

Internal control system of the Council is adequate.

3. System of physical verification of fixed assets

The physical verification of fixed assets had been conducted upto 2010-11.

4. System of physical verification of inventory

The physical verification of stationery and consumables etc. had been conducted upto 2010-11.

5. Regularity in payment of statutory due.

As per account, no payment over six months in respect of statutory dues were outstanding as on 31.3.2011.

FINANCIAL STATEMENT OF CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE, NEW DELHI
 (NON-PROFIT ORGANIZATION FOR THE YEAR 2010-11)

CONTENTS

HEAD	PAGE NO.
Balance Sheet	35
Income & Expenditure Account	36
Schedules to Financial Statement	37 to 59
Receipts & Payments Account Non-Plan & Plan, G.P.F. & N.P.S.	60 to 63

LIABILITIES	SCHEDULE	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
		NON PLAN	PLAN	NON PLAN	PLAN
CORPUS FUND	1(NP) & 9 (P)	63,11,707	1,29,445	1,18,67,152	2,98,072
PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT	2	8,92,49,915		7,44,12,654	
CURRENT LIABILITIES	3	17,500		17,500	4,370
G.P.F. & N.P.S. TIER-I	4	1,10,05,325		96,36,297	
TOTAL		10,65,84,447	1,29,445	9,59,33,603	3,02,442
ASSETS					
FIXED ASSETS (SCHEDULE - 8)					
CURRENT ASSETS					
OUTSTANDING FEES	5 (NP)	24,000	19,960	25,44,786	2,82,482
G.P.F. & N.P.S. TIER-I	6 (NP)	28,34,792		19,200	19,960
POSTAGE STAMPS					
CLOSING BALANCE	7 (NP)	1,10,05,325		39,23,792	
CASH AT BANK (INTERNAL FUND)					
CASH AT BANK (PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT)	8 (NP)	20,552		96,36,297	
ACCRUED INTEREST PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT					
TOTAL		10,65,84,447	1,29,445	9,59,33,603	3,02,442
NOTES ON ACCOUNTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	20				

s/-

(DR. P.R. SHARMA)
REGISTRAR

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
(NON PROFIT ORGANIZATION)
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

LIABILITIES	SCHEDULE	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
		NON PLAN	PLAN	NON PLAN	PLAN
INCOME					
Grant-in-aid		3,30,00,000	34,00,000	1,84,00,000	39,00,000
Fee		1,84,77,978		4,59,77,882	
Other Receipt		2,30,882		2,74,435	
Accrued interest Public Deposit Account		11,23,537		39,96,747	
Transfer from Public Deposit Account		95,00,000		60,00,000	
TOTAL A		6,23,32,397		7,46,49,064	
EXPENDITURE					
Establishment Expenses	14 (NP)	1,44,44,470		1,35,04,142	
Administrative Expenses	15 (NP)	1,70,95,024		1,62,57,576	
Retirement Benefits	16 (NP)	26,65,160		45,09,372	
Travelling Expenses	18 (NP) & 19 (NP)	1,25,08,673	36,26,947	1,02,64,224	34,01,611
Depreciation (Schedule-B)		12,58,934	19,320	4,87,426	49,851
Refundable unspent balance			1,30,187		3,57,134
TOTAL B		4,79,72,261	37,76,454	4,50,22,740	39,54,221
Balance being excess of income over Expenditure (A-B)		1,43,60,136	- 3,76,454	2,96,26,324	54,221
Transfer to Public Deposit Account		1,57,00,000		2,40,00,000	
Transfer to Corpus Fund		9,64,502		6,77,128	
Transfer to President Relief Fund		1,11,875		1,60,250	
BALANCE BEING SURPLUS / DEFICIT					
CARRIED TO CORPUS FUND		-14,51,739	- 3,76,454	54,66,074	54,221
NOTES ON ACCOUNTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	20				

36

sd/-
(DR. P.R. SHARMA)
REGISTRAR

SCHEDULE-1

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
CORPUS FUND NON-PLAN
Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2011

	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
CORPUS FUND				
As per last Balance Sheet	1,18,67,152		93,20,626	
Less:- Excess of Expenditure over Income	- 14,51,739		54,66,074	
Deduction:- Adjusted Accrued interest	1,04,15,413		1,47,86,700	
Deduction:- Assets de-capitalized	39,96,747			
TOTAL	1,06,959	- 41,03,706	63,11,707	29,19,548
				1,18,67,152

37

sd/-
(DR. P.R. SHARMA)
REGISTRAR

SCHEDULE-2

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT

Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2011

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT		
As per last Account	7,44,12,654	5,24,43,278
Addition : during the year	1,57,00,000	2,40,00,000
	9,01,12,654	7,64,43,278
Less : Adjusted during year	- 95,00,000	60,00,000
	8,06,12,654	7,04,43,278
	+ 86,37,261	39,69,376
	8,92,49,915	7,44,12,654
TOTAL	8,92,49,915	

sd/-

(DR. P.R. SHARMA)



SCHEDULE-3

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

DETAILS OF CURRENT LIABILITIES NON-PLAN


Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2011

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Current Liabilities		
Security		
As per last Account	17,500	17,500
Addition : during the year		
Less : Adjusted during the year		
TOTAL	17,500	17,500

sd/-

(DR. P.R. SHARMA)



SCHEDULE-4

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

G.P.F. & N.P.S. TIER-I

Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2011
(Amount Rs.)

HEAD		CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR
G.P.F.		92,85,261		90,85,261
Investments as F.D.		15,77,241		4,91,001
Cash at Bank		14,220	1,08,76,722	95,76,262
Accrued interest				60,035
N.P.S. TIER-1			1,28,603	
Cash at Bank	TOTAL		1,10,05,325	96,36,297

sd/-

(DR. P.R. SHARMA)
REGISTRAR

SCHEDULE-5

CURRENT ASSETS UNDER NON-PLAN

Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2011

(Amount Rs.)

HEAD		CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR
Festival Advance				
As per last Account		19,200		12,300
Addition : during the year		36,000		33,000
		55,200		45,300
Less : Deduction during the year		31,200	24,000	26,100
TOTAL			24,000	19,200

sd/-
(DR. P.R. SHARMA)
REGISTRAR

SCHEDULE-6

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
DETAILS OF OUTSTANDING FEES UNDER NON-PLAN
Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2011

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
OUTSTANDING FEES		
As per last Account	39,23,792	37,13,792
Addition : during the year	5,90,000	11,10,000
	45,13,792	48,23,792
Less : Recovery against outstanding	16,79,000	28,34,792
TOTAL	28,34,792	39,23,792

sd/-

(DR. P.R. SHARMA)
 REGISTRAR

SCHEDULE-7

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
DETAILS OF POSTAGE STAMPS NON-PLAN
Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2011

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
POSTAGE STAMPS		
As per last Account	5,772	13,499
Addition : during the year	65,375	52,500
	71,147	65,999
Less : Adjustment during the year	50,595	60,227
TOTAL	20,552	5,772

sd/-
 (DR. P.R. SHARMA)
 REGISTRAR

SCHEDULE-8

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NON-RECURRING NATURE ASSETS (2010-11) (NON-PLAN)

(Amount Rs.)

S.No	Name of Article	@ of Deprecations	Opening Balance 01.04.2010	Addition	Redemption	Closing Balance 31.03.2011	Deprecations	Written down value
1	Furniture & Fixture	15%	5,86,929	--		5,86,929	97,492	4,89,437
2	Office Equipments	15%, 25%, 60%	17,00,016	9,64,502	*1,06,959	25,57,559	10,98,320	14,59,239
3	Air Cooling	25%	2,44,459	--		2,44,459	61,115	1,83,344
4	Book for Library	15%	13,382	--		13,382	2,007	11,375
5	*RECTIFICATION OF REDEMPTION FOR THE YEAR 2009-10							
	TOTAL		25,44,786	9,64,502	1,06,959	34,02,329	12,58,934	21,43,395

sd/-
(DR. P.R. SHARMA)
REGISTRAR

SCHEDULE-8

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NON-RECURRING NATURE ASSETS (2010-11) (PLAN)

(Amount Rs.)

S.No	Name of Article	@ of Deprecations	Opening Balance 01.04.2010	Addition	Redemption	Closing Balance 31.03.2011	Deprecations	Written down value
1	Furniture & Fixture	15%	85,117	--		85,117	13,116	71,941
2	Office Equipments	15%	1,64,869	--	*1,53,677	11,192	1,270	9,922
3	Book for Library	15%	32,496	--		32,496	4,874	27,622
4	*RECTIFICATION OF REDEMPTION FOR THE YEAR							
	TOTAL		2,82,482	--	1,53,677	1,28,805	19,320	1,09,485

sd/-
(DR. P.R. SHARMA)
REGISTRAR

SCHEDULE-9

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
CORPUS FUND PLAN**

Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2011

(Amount Rs.)

HEAD		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
CORPUS FUND			
As per last Balance Sheet with unspent Grant	3,02,442	5,43,538	
Less : Excess of Expenditure over Income	- 3,76,454	54,221	
	- 74,012	4,89,317	
	- 1,53,677	1,91,245	2,98,072
Less: Assets de-capitalized			
Add:- Unspent Grant 09-10	+ 3,57,134	1,29,445	
TOTAL		1,29,445	2,98,072

sd/-

(DR. P.R. SHARMA)
REGISTRAR

SCHEDULE-10

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT**

Details of Investment as on 31.03.2011

SL.NO.	TDR NO.	RECEIPT NO.	ACCOUNT NO.	DATE OF MATURITY	AMOUNT
1.	TD A/60	721728	31597001537	Matured on 29-07-2012	99,00,000
2.	TD A/60	721729	31597003613	Matured on 29-07-2012	99,00,000
3.	TD A/60	721730	31597004991	Matured on 17-10-2013	99,00,000
4.	TD A/60	721731	31597005383	Matured on 17-10-2013	99,00,000
5.	TD A/60	721756	31597007599	Matured on 11-11-2013	99,00,000
6.	TD A/60	721757	31597008311	Matured on 11-11-2013	99,00,000
7.	TD A/60	721806	31691292697	Matured on 23-12-2013	99,00,000
8.	TD A/60	721809	31695423480	Matured on 06-10-2012	99,00,000
				TOTAL	7,92,00,000
Total BANK BALANCE					
Grand Total					
8,92,49,915					

Total
BANK BALANCE
Grand Total
1,00,49,915
8,92,49,915

sd/-
(DR. P.R. SHARMA)
REGISTRAR

SCHEDULE-11

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Recoverable Fee during the year NON-PLAN
Schedule forming part of Income and Expenditure Account as at 31.03.2011 (Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Fees recoverable during the year	77,40,000	71,10,000
Fees received from the New colleges	42,00,000	31,50,000
Fees received from intake capacity/Post Graduate Course	60,00,000	3,48,00,000
Fees received Enrolment	2,84,550	2,69,001
Fees received from Registration	31,000	37,000
Fees received from Right to Information	22,428	11,881
Fees received under section 13 (C)	2,00,000	6,00,000
TOTAL	1,84,77,978	4,59,77,882

sd/-
(DR. P.R. SHARMA)
REGISTRAR

48

SCHEDULE-12

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Actual Fee Received NON-PLAN
Schedule forming part of Receipts and Payments Account as at 31.03.2011 (Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Fees received against outstanding	16,79,000	9,00,000
Fees received during the year	71,50,000	60,00,000
Fees received against New Colleges	42,00,000	31,50,000
Fees received against Intake capacity/Post Graduate Course	60,00,000	3,48,00,000
Fees received against Enrolment	2,84,550	2,69,001
Fees received against Registration	31,000	37,000
Fees received against Right to Information	22,428	11,881
Fee received against existing college (Section 13 (C)	2,00,000	6,00,000
TOTAL	1,95,66,978	4,57,67,882

49

sd/-
(DR. P.R. SHARMA)
REGISTRAR

SCHEDULE-13

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Other Receipts NON-PLAN
Schedule forming part of Receipts and Payments Account as at 31.03.2011 (Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Interest received against S.B. Account	1,80,132	1,79,492
Books for Library	—	13,918
Sales of Radhi	25,125	—
C.G.H.S. Contribution from Employees	25,625	27,525
Auction Money	—	53,500
TOTAL	2,30,882	2,74,435

50

sd/-
(DR. P.R. SHARMA)
REGISTRAR

SCHEDULE-14

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Establishment Expenses NON-PLAN
Schedule forming part of Receipts and Payments Account as at 31.03.2011 (Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Pay of Secretary & Staff with N.P.A	41,78,370	49,67,427
Dearness Allowance	17,96,392	12,85,824
House Rent Allowance	12,13,854	14,51,334
Transport Allowance with D.A.	6,94,096	6,89,624
Washing Allowance	3,240	3,360
Bonus	79,442	89,804
Leave Travel Concession	73,904	96,902
Overtime Allowance	63,449	37,468
Honorarium	89,500	1,11,783
Contribution to C.G.H.S.	4,95,979	71,738
Tuition Fee	2,23,270	79,836
Medical Reimbursement	2,80,301	7,74,113
Interest transferred to GPF	76,970	5,877
Wages	18,78,561	12,41,152
Consolidated Salary	31,97,502	8,13,932
Arr. Of 6th Central Pay Commission	—	17,54,939
Contribution to N.P.S Tier-1	32,892	29,029
Subsistence Allowance	39,248	
Special Allowance	27,500	
TOTAL	1,44,44,470	1,35,04,142

51

sd/-
(DR. P.R. SHARMA)
REGISTRAR

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Administrative Expenses NON-PLAN

Schedule forming part of Receipt & Payment Account as at 31.03.2011 (Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Stationery	12,30,798	1,004,642
Telephone	2,12,987	2,02,732
Postage & Telegram	3,61,402	2,83,739
Postage Stamps	50,595	60,227
Newspapers & Periodical Books	8,613	15,082
Liveries	6,670	3,979
Audit Fee	—	69,235
Printing	9,45,894	2,04,931
Legal	22,92,484	13,45,117
Publication	95,85,240	1,06,59,340
Bank Charges	9,232	7,617
Maintenance	6,04,591	5,33,419
Miscellaneous	7,02,951	4,09,898
T.D.S. to SBI other than Salary	3,37,518	1,85,509
I.T. Charges	1,12,907	5,74,517
Courier	1,49,251	67,673
Taxi Hire	1,24,844	18,643
Advertisement	53,244	6,11,276
Rent for Guest House	2,36,370	
Various Expenditure for Guest House	69,433	
TOTAL	1,70,95,024	1,62,57,576

sd/-
(DR. P.R. SHARMA)
REGISTRAR

SCHEDULE-16

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Retirement Benefits

Schedule forming part of Receipt & Payment Account as at 31.03.2011
(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Monthly Pension	16,34,402	8,84,658
Gratuity	3,19,699	14,18,216
Commutted Pension	2,83,146	13,44,636
Leave encashment	4,27,913	7,54,723
Arrear of 6th Pay Commission	—	1,071,39
TOTAL	26,65,160	45,09,372

sd/-
(DR. P.R. SHARMA)
REGISTRAR

SCHEDULE-17

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Fixed Assets NON-PLAN

Schedule forming part of Receipts & Payment Account as at 31.03.2011

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Furniture & Fixture	--	3,18,573
Office Equipment	9,64,502	3,56,955
Air Cooling Appliances	--	1,600
TOTAL	9,64,502	6,77,128

sd/-

(DR. P.R. SHARMA)
 REGISTRAR

SCHEDULE-18

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

Travelling Expenses NON-PLAN

Schedule forming part of Receipts & Payment Account as at 31.03.2011

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
President	5,04,968	2,62,950
Vice-President	6,06,272	3,66,410
Secretary/Staff	1,61,519	1,95,894
Executive Committee	14,55,600	4,93,323
Sub-Committee	17,76,614	9,28,572
Member of Council	25,06,923	22,43,214
Visitation of Ayurved	38,92,151	45,15,091
Visitation of Unani	8,08,634	8,39,757
Visitation of Siddha	29,270	62,251
DPC/Selection Committee	1,07,383	2,23,003
Conveyance Expenses	5,220	5,589
National Workshop (Ayurved)	--	1,28,170
Permanent T.A.	7,500	
Unani Committee	2,06,958	
P.G. Regulation	4,01,677	
T.A. on Retirement	37,984	
TOTAL	1,25,08,673	1,02,64,224

sd/-

(DR. P.R. SHARMA)
 REGISTRAR

SCHEDULE-19

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Travelling Expenses PLAN

Schedule forming part of Receipts and Payments Account as at 31.03.2011 (Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Miscellaneous Expenses	1,48,167	--
Remuneration	--	68,000
Registrar State Board	41,943	5,23,417
Bridge Course Comm.	2,920	1,40,389
PG Syllabus Comm.	34,33,917	9,22,322
Core Comm.	--	14,93,909
Sub Comm.	--	2,53,574
TOTAL	36,26,947	34,01,611

56

sd/-
 (DR. P.R. SHARMA)
 REGISTRAR

SCHEDULE-20

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Notes on Accounts and significant Accounting Policies

- 1 The accounts have been prepared under the historical cost convention and on accrual basis.
- 2 Plan fund received from the Central Government has been shown a separate funds.
- 3 Public Deposit Account has been generated from fees for future expenses.
- 4 Investments had been made in FD in SBI for long terms to avoid the risk factor.
- 5 Accounting of Revenue and capital expenditure are from the Grant under Non-Plan and Plan and fees received.
- 6 **Corpus funds:-**
 This represents the accumulated balance of Excess of Income over Expenditure mainly from fees and Net value of fixed assets.
- 7 Council has no liability for Gratuity and Commutation of Pension etc. on the Balance Sheet as on date.
- 8 Depreciation on fixed assets has been prepared for the year 2010-11 as per Schedule - 8 Non Plan & Plan by Administration section and approved by Registrar same is shown in Annual Accounts.
- 9 Figures have been rounded off to nearest rupees.
10. Accounts of N.P.S. Tier-I, GPF and P.D.A. is maintained separately and is shown in Main Balance Sheet under Non-Plan.
11. The Annual Accounts of the CCIM are approved by the competent authority.

57

sd/-
 (DR. P.R. SHARMA)
 REGISTRAR

SCHEDULE-21

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Details of General Provident Fund Subscriptions
Schedule forming part of Receipts and Payments Account as at 31.03.2011 (Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
As per last Account	95,76,262	79,00,092
Addition : Subscription & Recovery of Advances	24,72,225	27,44,160
Interest on F.D.	6,63,534	5,97,339
Interest on S.B. Account	38,593	53,658
Interest transferred from N.P.	76,970	5,877
Less :		
i) Final Payment & Withdrawal	14,12,862	17,07,041
ii) Advances to employees	5,38,000	--
TOTAL	1,08,76,722	17,24,864

58

sd/-
(DR. P.R. SHARMA)
REGISTRAR

SCHEDULE-22

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
GENERAL PROVIDENT FUND
Details of Investment as on 31.03.2011

SL.NO.	TDR NO.	RECEIPT NO.	ACCOUNT NO.	DATE OF MATURITY	AMOUNT
1	TD. A/41	154826	0120102811205 - 10502353101	Matured on 19.10.2011	3,00,000
2	TD. A/48	065013	0120102811206 - 10502353112	Matured on 27.10.2011	9,00,000
3	TD. A/61	065993	0120102811209 - 10502353134	Matured on 21.01.2012	3,00,000
4	TD. A/61	066301	0120102811210 - 10502353145	Matured on 09.04.2012	5,00,000
5	Bank of India, Jhandewalan, New Delhi			Special Deposit scheme	2,85,261
6	T.D.C.S./004	0431821	30024806985	Matured on 01.12.2011	10,00,000
7	TDA/60	643909	30727318651	Matured on 29.03.2012	10,00,000
8	TDA/60	721791	31671806380	Matured on 09.12.2013	50,00,000
				TOTAL	92,85,261

59

sd/-
(DR. P.R. SHARMA)
REGISTRAR

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2011 (Amount Rs.)

RECEIPTS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR		PAYMENTS		CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
	NON PLAN	PLAN	NON PLAN	PLAN	NON PLAN	PLAN	NON PLAN	PLAN	NON PLAN	PLAN
OPENING BALANCE										
Cash in Hand	2,000		6,407							
Cash at Bank	13,92,355	3,57,134	3,17,496	4,370	Estt. Expenses Sch 14 (NP)	1,44,44,470			1,35,04,142	
Postage Stamps	5,772		13,499		Admin Expenses Sch 15 (NP)	1,70,95,024			1,62,57,576	1,45,625
Grant Received	3,30,00,000	34,00,000	1,84,00,000	39,00,000	Retirement Benefits Sch. (16)	26,65,160			45,09,372	
Public Deposit Account	95,00,000		60,00,000		Fixed Assets Sch. 17 (NP)	9,64,502			6,77,128	
Fee Received Sch 12 (NP)	1,95,66,978		4,57,67,882		Travelling Exp. Sch. 18(NP) & 19(P)	1,25,08,673	36,26,947	1,02,64,224	34,01,611	
Recovery of Festival Adv.	31,200		26,100		Festival advance	36,000			33,000	
Other Receipt Sch 13(NP)	2,30,882		2,74,435		Public Deposit Account	1,57,00,000			2,40,00,000	
Security	-				Relief Fund	1,11,875			1,60,250	
					Closing Balances	1,676			2,000	
					Cash in Hand	1,81,255	1,30,187		13,92,355	
					Cash at Bank	20,552			5,772	
					Postage Stamps					
TOTAL	6,37,29,187	37,57,134	7,08,05,819	39,04,370	TOTAL	6,37,29,187	37,57,134	7,08,05,819	39,04,370	

60

sd/-
(DR. P.R. SHARMA)
REGISTRAR

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
GENERAL PROVIDENT FUND
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2011 (Amount Rs.)

RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	CURRENT		PREVIOUS
				YEAR	YEAR	
OPENING BALANCE						
Cash at Bank	4,91,001	6,97,008	Advances			5,38,000
Interest Received						
i) Interest earned on F.D.	6,63,534	5,97,339	Withdrawal &			14,12,862
ii) Interest received on S.B. Account	38,593	53,658	Final Payment			25,00,000
iii) Interest transferred from N.P.	76,970	5,877	Investment in F.D.			15,77,241
Other Receipts			Closing Balance			4,91,001
i) Subscription & Recovery of Advances	24,72,225	27,44,160	Cash at Bank			
ii) Matured F.D.R.	47,85,780	6,00,000				
TOTAL	85,28,103	46,98,042	TOTAL	85,28,103	46,98,042	

61

sd/-
(DR. P.R. SHARMA)
REGISTRAR

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW PENSION SYSTEM TIER-1
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2011**

RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
OPENING BALANCE					
Cash at Bank	60,035	1,332	No Payment	Nil	0
Monthly Contribution from employees	32,892	29,029			
Monthly Matching Contribution by Council	32,892	29,029	Closing Balance		
Interest on S.B. A/c	2,784	645	Cash at Bank	1,28,603	60,035
TOTAL	1,28,603	60,035		1,28,603	60,035

62

sd/-
(DR. P.R. SHARMA)
REGISTRAR

RECEIPT	CURRENT YEAR	PAYMENT	CURRENT YEAR
OPENING BALANCE			
Cash at Bank	36,55,545	Transferred to CCIM	95,00,000
FDR Matured	8,47,57,109		
Transferred from CCIM	1,57,00,000	Investment on F.D.	9,32,00,000
Interest received on Saving Bank A/c	1,89,046	Closing Balance	
Interest received on FDR	84,48,215	Cash at Bank	1,00,49,915
TOTAL	11,27,49,915	TOTAL	11,27,49,915

63

sd/-
(DR. P.R. SHARMA)
REGISTRAR